



उत्तराखण्ड



उत्तराखण्ड शासन

लोक निर्माण विभाग

निर्माण खण्ड लोक निर्माण विभाग ऊखीमठ- रुद्रप्रयाग

सिविल वृत्त लोक निर्माण विभाग रुद्रप्रयाग

वनभूमि

हस्तान्तरण पत्रावली

परियोजना का नाम:- मा० मुख्यमंत्री जी की घोषणा संख्या-553/2015 के अन्तर्गत जनपद-रुद्रप्रयाग के विधानसभा क्षेत्र-केदारनाथ के विकासखण्ड, अगस्त्यमुनि में बेडूबगड़-जगोठ मोटर मार्ग से सौड़ी गाँव तक मोटर मार्ग के नव निर्माण हेतु वन भूमि का लो०नि०वि० को हस्तान्तरण।

ग्राम:- सौड़ी,
राजस्व उप निरीक्षक क्षेत्र:-अगस्त्यमनि,
तहसील:- रुद्रप्रयाग,
जनपद:- रुद्रप्रयाग,
क्षेत्रफल:- 0.420 है० राज्य भूमि मोटर मार्ग निर्माण हेतु।
0.195 है० राज्य भूमि मकड़िपगं हेतु।
कुल वनभूमि = 0.615 है०

क्र.सं.	प्रपत्र का विषय	पृष्ठ संख्या	संलग्न है/नहीं	संलग्न न होने का कारण
1	सम्बन्धित अधिकारी/ऑन-लाइन प्रस्ताव प्रेषित करने हेतु स्थित अधिकारी का प्रमाण-पत्र।	7	संलग्न है	
2	राज्य सरकार द्वारा निर्धारित प्रपत्र भाग-1, 2 तथा भाग-3	8-12	संलग्न है	
3	परियोजना की वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति।	13-17	संलग्न है	
4	सम्बन्धित विभागों द्वारा फील्ड में सम्पन्न संयुक्त निरीक्षण रिपोर्ट	18	संलग्न है	
5	राज्य सरकार द्वारा निर्धारित प्रपत्र पर प्रभागीय वनाधिकारी की स्थलीय निरीक्षण रिपोर्ट (Site Inspection Report)	19	संलग्न है	
6	1:50,000 पैमाने का टोपोग्राफी का मानचित्र जिसमें प्रस्तावित भूमि को अलग-अलग रंगों से दर्शाया गया हो।	20	संलग्न है	
7	डिजिटल मैप व सी0डी0 में प्रस्तावित क्षेत्र को जी0पी0एस0 सिस्टिम के साथ दर्शाया गया हो।	21	संलग्न है	
8	गूगल मानचित्र जिसमें प्रस्तावित कार्य का पूर्ण विवरण दर्शाया गया हो।	22	संलग्न है	
9	प्रस्तावित कार्य हेतु वन भूमि के मांग का पूर्ण औचित्य को दर्शाते हुए एक विस्तृत आख्या।	29	संलग्न है	
10	गूगल मानचित्र जिसमें प्रस्तावित कार्य का पूर्ण विवरण अंकित हो तथा वैकल्पिक समरेखण एवं प्रस्तावित भूमि को पूर्ण रूप से दर्शाया गया हो।	22	संलग्न है	
11	वैकल्पिक संरक्षण तलाश जाने एवं उन्हें निरस्त किये जाने का कारण का तुलनात्मक विवरण।	23-31	संलग्न है	
12	वैकल्पिक भूमि उपलब्ध न होने तथा वन भूमि की मांग न्यूनतम होने का प्रमाण-पत्र।	32	संलग्न है	
13	प्रस्तावित भूमि का लैंड रीडयूल।	33-34	संलग्न है	
14	परियोजना की लम्बाई एवं चौड़ाई।	35	संलग्न है	
15	बार चार्ट।	36	संलग्न है	
16	कार्य आरम्भ न किये जाने का प्रमाण-पत्र।	37	संलग्न है	
17	प्रस्तावित होने वाले वृक्षों का प्रजातिवार/ व्यासवार विवरण।	38-40	संलग्न है	
18	प्रस्तावित होने वाले वृक्षों का मूल्यांकन/सारांश।	41-42	संलग्न है	
19	वास्तविक रूप से काटे जाने वाले वृक्षों का विवरण।	43	संलग्न है	
20	बाँज प्रजाति के वृक्ष प्रस्तावित होने की दशा में सम्बन्धित वन संरक्षक की संस्तुति आख्या एवं प्रमाण-पत्र।	44		
21	वृक्ष प्रस्तावित न होने सम्बन्धी प्रमाण-पत्र।	45	संलग्न नहीं है	लागू नहीं है
22	न्यूनतम वृक्षों के पालन किये जाने का प्रमाण-पत्र।	46	संलग्न है	
23	परियोजना स्थल का राष्ट्रीय पार्क/ वन्य जीव अभ्यारण्य का हिस्सा न होने एवं हवाई दूरी का प्रमाण-पत्र।	47-48		
24	मुख्य वन्य जीव प्रतिपालक का अनापत्ति प्रमाण-पत्र। (वन्य जीव क्षेत्रों के लिये)	49		
25	राष्ट्रीय पार्क/ वन्य जीव अभ्यारण्य में प्रस्तावित कार्य करने से पूर्व मा0 उच्चतम न्यायालय एवं भारतीय वन्य जीव परिषद की अनुमति।	—	संलग्न नहीं है	प्रस्तावित भाग राष्ट्रीय पार्क/ वन्य जीव अभ्यारण्य का हिस्सा नहीं है।
26	प्रस्तावित ग्रामों की आम सभाओं का अनापत्ति प्रमाण-पत्र।	50	संलग्न है	
27	लागत लाभ विश्लेषण (5 हे0 से अधिक क्षेत्रफल के प्रकरणों में लागू)	—	संलग्न नहीं है	प्रस्तावित भाग 5 हे0 से कम है।
28	वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाणपत्र	51-56	संलग्न है	
29	परियोजना के विभिन्न घटकों का मदवार विवरण। (केवल जल विद्युत परियोजनाओं हेतु)	—	संलग्न नहीं है	प्रस्तावित कार्य जल विद्युत परियोजना नहीं है।
30	मदन निर्माण आदि प्रकरणों में ले-आउट प्लान।	—	संलग्न नहीं है	प्रस्तावित कार्य भवन निर्माण सम्बन्धित नहीं है।
31	परियोजना के निर्माण हेतु भू-वैज्ञानिक की आख्या।	57-60	संलग्न है	
32	भू-वैज्ञानिक के सुझावों का अनुपालन किये जाने का प्रमाणपत्र।	61	संलग्न है	
33	पर्वतीय क्षेत्रों में टॉस्कफोर्स की संस्तुतियाँ मान्य होने का	62	संलग्न है	

पृष्ठ सं०		पृष्ठ संख्या (3)	
34	वनक हटाने का प्रमाण-पत्र।	63	संलग्न है
35	प्रस्तावित स्थल धार्मिक/पौराणिक/ऐतिहासिक महत्व का होने का प्रमाण-पत्र।	65	संलग्न है
36	वन क्षेत्र एवं वनस्पतियों को क्षति न पहुँचाये जाने का प्रमाण-पत्र।	66	संलग्न है
37	संरक्षण के निर्माण में कार्यरत श्रमिकों को मिट्टी का ढेर/ड्रैफ्टिंग गैस उपलब्ध कराये जाने का प्रमाण-पत्र।	67	संलग्न है
38	लगायत होने वाले ग्रामों/जनसंख्या/परिवारों के विवरण का प्रमाण-पत्र।	68	संलग्न है
39	जिलाधिकारी द्वारा निर्धारित वन भूमि का वर्तमान मूल्य/लीज रेंट का प्रमाण-पत्र।	69	संलग्न है
40	क्षतिपूरक वृक्षारोपण की 10 वर्षीय योजना का प्राक्कलन मय मानचित्र। (1 हे० से अधिक क्षेत्रफल के प्रकरणों में लागू)	—	संलग्न नहीं है। प्रस्तावित कार्य 1 हे० से कम है।
41	क्षतिपूरक वृक्षारोपण स्थल की उपयुक्तता का प्रमाण-पत्र।	—	— " —
42	1:50,000 पैमाने का टोपोग्राफी का मानचित्र जिसमें क्षतिपूरक वृक्षारोपण स्थल को दर्शाया गया हो।	—	— " —
43	संगीन गूगल मानचित्र जिसमें क्षतिपूरक वृक्षारोपण स्थल को दर्शाया गया हो।	—	— " —
44	रिक्त स्थानों पर वृक्षारोपण/पथ वृक्षारोपण/दस गुना/बौनी प्रजातियों/100 वृक्षा के वृक्षारोपण का प्राक्कलन।	71-75	संलग्न है
45	यदि गैर वन भूमि अथवा राजस्व भूमि की आवश्यकता हो तो भूमिधर का अनापत्ति प्रमाण-पत्र एवं भूमि धरों का भूमि धर होना का प्रमाण-पत्र।	—	संलग्न है
46	भूमिधर एवं प्रस्तावक विभाग के मध्य हुये अनुबन्ध।	—	— लागू नहीं है।
47	मक डिस्पोजल की विस्तृत योजना, मानचित्र व उपचार कार्यों का प्राक्कलन।	76-77	संलग्न है
48	भारत सरकार के निर्देशानुसार देय एन०पी०वी० की धनराशि का आंकलन।	78	संलग्न है
49	एन०पी०वी० की वर्तमान दरों में वृद्धि होने पर बढ़ी हुई धनराशि का वन विभाग को भुगतान किये जाने का प्रमाण-पत्र।	79	संलग्न है
50	प्रत्यावर्तित वन भूमि का सीमा स्तम्भों द्वारा सीमांकन किये जाने का प्राक्कलन।	80	संलग्न है
51	लीज अवधि का प्रमाण-पत्र। (वन भूमि लीज पर दिये जाने/लीज नवीनीकरण के प्रकरणों में)	—	संलग्न नहीं है लागू नहीं है
52	वन संरक्षण अधिनियम, 1980 के उल्लंघन न होने का ना होने का प्रमाण पत्र और होने की दशा में विवरण।	81	संलग्न है
53	जल विद्युत परियोजना हेतु कैंट प्लान (यदि लागू हो) व कैंट प्लान की धनराशि जमा कराये जाने का प्रमाण-पत्र।	—	संलग्न नहीं है लागू नहीं है
54	भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय की पर्यावरणीय स्वीकृति। (यदि लागू हो)	—	संलग्न नहीं है लागू नहीं है
57	कालातीत लीजों के नवीनीकरण हेतु प्रपत्र।	—	संलग्न नहीं है लागू नहीं है

फैक्ट सीट

- 1- **परियोजना का नाम:-** मा० मुख्यमंत्री जी की घोषणा संख्या-553/2015 के अन्तर्गत जनपद-रुद्रप्रयाग के विधानसभा क्षेत्र-केदारनाथ के विकासखण्ड, अगस्त्यमुनि में बेडूबगड़-जगोठ मोटर मार्ग से सौड़ी गाँव तक मोटर मार्ग के नव निर्माण हेतु वन भूमि का लो०नि०वि० को हस्तान्तरण।

2-प्रस्तावित भूमि का वैधानिक स्थिति के अनुसार क्षेत्रफल (है० में)

आरक्षित वन भूमि (संरक्षित)	शून्य
राज्य भूमि	0.420 है० मोटर मार्ग हेतु + 0.195 है० मक इम्पिंग हेतु = 0.615
नाप भूमि	0.630
वन पंचायत भूमि	शून्य
योग	1.245 है०

- 3-प्रस्तावक विभाग का नाम - निर्माण खण्ड लोक निर्माण विभाग ऊखीमठ
- 4-वन प्रभाग का नाम - रुद्रप्रयाग वन प्रभाग रुद्रप्रयाग
- 5-प्रस्ताव बांझड़िंग किया गया है - हाँ/नहीं
- 6-प्रस्ताव में विषय सूची भरी गयी है - हाँ/नहीं
- 7-क्या भारत सरकार के प्रारूप के भाग-1,2, व 3 के सभी बिन्दुओं की सूचना भरी गई है - हाँ/नहीं
- 8- क्या प्रारूप में वांछित स्थानों पर दिनांक व स्थान भरा गया है- हाँ/नहीं
- 9-प्रस्तावित क्षेत्र की हरियाली का घनत्व दर्शाया गया है - हाँ/नहीं
- 10- प्रस्तावित होने वाले वृक्षों की संख्या की सूची /प्रमाण-पत्र संलग्न है- हाँ/नहीं
- 11-बाँज प्रजातियों के वृक्षों के प्रभावित होने की दशा में सम्बन्धित वन संरक्षक का स्थलीय निरीक्षण प्रमाण-पत्र संलग्न है- हाँ/नहीं
- 12- प्रभावित होने वाले वृक्षों की संख्या यदि अत्याधिक है तो प्रस्तावक विभाग द्वारा उन्हें कम करने का प्रयास किया गया है- हाँ/ नही
- 13 - संग्रहेखण में आने वाले कुल वृक्षों की संख्या व वास्तविक रूप से काटे वाले वृक्षों की सूची संलग्न है। - हाँ/नहीं
- 14 - क्या वृक्षों की संख्या के अनुसार हरियाली का घनत्व सही है। - हाँ/नहीं
- 15 - क्या क्षतिपूरक वृक्षारोपण की विस्तृत योजना मय स्थल उपयुक्तता प्रमाण - पत्र सहित प्रस्ताव में संलग्न है। - हाँ/नहीं
- 16 - क्या मानचित्र में क्षतिपूरक वृक्षारोपण स्थल को दर्शाया गया है। - हाँ/नहीं
- 17 - प्रस्तावित मार्ग के दोनों ओर / परियोजना के आसपास रिक्त पड़े स्थानों की वृक्षारोपण योजना संलग्न है। - हाँ/नहीं
- 18 - क्या परियोजना वन्य जीवों के संरक्षण के दृष्टि से महत्वपूर्ण है। - हाँ/नहीं
- 19 - प्रस्तावित क्षेत्र हाथी कोरीडोर का हिस्सा है। - हाँ/नहीं
- यदि हाँ तो मुख्य जीव प्रतिपालक का प्रमाण पत्र संलग्न है। - हाँ/नहीं
- 20 - क्या प्रस्ताव का क्षेत्रफल सभी प्रपत्रों में सही भरा है। - हाँ/नहीं
- 21 - प्रस्तावित मार्ग नया प्रस्तावित है अथवा पूर्व निर्मित मार्ग से आगे निर्माण किया जाना है। - हाँ/नहीं

- 22- जब मानचित्र में प्रभावित विभिन्न प्रकार की भूमि को अलग-2 रंगों से भरा गया है। - ☒ हॉ/नहीं
- 23- हॉट्टी छड़क का आरम्भिक बिन्दु किसी मार्ग से है तो उस मार्ग को मानचित्र पर दर्शाया गया है। - ☒ हॉ/नहीं
- 24- जब प्रस्तावित परियोजना में वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 का उल्लंघन हुआ है - ☒ हॉ/नहीं
- 25- हॉट्टी उल्लंघन हुआ है तो पूरण स्थिति वर्णित करते हुये दोषी अधिकारियों / कर्मचारियों के नाम एवं उनके डिप्ट की गयी कार्यवाही का विवरण संलग्न किया जाय।
- 26- छड़क निर्माण हेतु तलाशी गयी अन्य सम्भावनाओं / वैकल्पिक समरेखण मानचित्र पर दर्शाये गये हैं। - ☒ हॉ/नहीं
- 27- वैकल्पिक समरेखणों को निरस्त करने का कारण (एक विस्तृत नोट संलग्न किया जाय)
- 28- लाभ लाभ विश्लेषण मात्रात्मक रूप में प्रस्तुत है
(5.00 है.से अधिक के प्रकरणों में लागू होगा) ☒ हॉ/नहीं
- 29- मानचित्र व वारचार्ट में एकरूपता है ☒ हॉ/नहीं
- 30- मलवे के निस्तारण की योजना मय मानचित्र सहित संलग्न है ☒ हॉ/नहीं
अथवा
- मलवे के निस्तारण के सम्बन्ध में प्रमाण-पत्र संलग्न है ☒ हॉ/नहीं
- 31- राज्य सरकार द्वारा लगाई जाने वाली शर्तों का प्रमाण-पत्र प्रस्ताव के साथ संलग्न है ☒ हॉ/नहीं
- 32- वया प्रस्ताव में संलग्न प्रमाण-पत्रों की फोटो प्रतियां मूल में संलग्न हैं यदि छायाप्रतियाँ संलग्न की गई हैं तो वया वे सत्यापित हैं- ☒ हॉ/नहीं
- 33- यदि वन भूमि तीज पर दी जानी है तो तीज अवधि का प्रमाण-पत्र संलग्न है- ☒ हॉ/नहीं
- 34- वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति संलग्न है- ☒ हॉ/नहीं
- 35- वया प्रस्ताव के सभी प्रमाण-पत्रों में परियोजना का नाम अंकित है- ☒ हॉ/नहीं
- 36- वया चैक लिस्ट के अनुसार सभी प्रमाण-पत्र संलग्न हैं- ☒ हॉ/नहीं

प्रमाणित किया जाता है कि प्रस्ताव उक्त फैक्ट शीट एवं चैक लिस्ट के अनुसार गठित किया गया है व समस्त प्रमाण-पत्र / सूचनाएँ संलग्न कर दी गई हैं


कनिष्ठ अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग
ऊखीमठ (रुद्रप्रयाग)


सहायक अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग
ऊखीमठ (रुद्रप्रयाग)


अतिशारी अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग
ऊखीमठ (रुद्रप्रयाग)


प्रमाणित अभियन्ता
ऊखीमठ (रुद्रप्रयाग)


प्रमाणित वन अधिकारी
रुद्रप्रयाग वन प्रभाग
रुद्रप्रयाग

परियोजना का नाम:- मा० मुख्यमंत्री जी की घोषणा संख्या-553/2015 के अन्तर्गत जनपद-रुद्रप्रयाग के विधानसभा क्षेत्र-केदारनाथ के विकासखण्ड, अगस्त्यमुनि में बेडबगड़-जगोठ मोटर मार्ग से सौड़ी गाँव तक मोटर मार्ग के नव निर्माण हेतु वन भूमि का लो०नि०वि० को हस्तान्तरण।

इस परियोजना की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति शासनादेश सं० 2724 / III (2) / 15-05 (मा०मु०घो०) / 2015 दि० 24-02-2015 के अन्तर्गत ग्रामीण असंयोजित वसावटों को बारहमासी सम्पर्क मार्गों से संयोजित करने हेतु उक्त मोटर मार्ग की 2.00 कि०मी० लम्बाई में स्वीकृति प्राप्त हुयी है, जिसकी धनराशी रु० 17.82 लाख है। उक्त मार्ग के संमरक्षण में पड़ने वाली वन भूमि का विवरण निम्नवत् है।

क्र०सं०	भूमि की श्रेणी	लम्बाई (मी० में)	चौड़ाई (मी० में)	कुल क्षेत्रफल (है० में)
1	आरक्षित वन भूमि	शून्य	शून्य	शून्य
2	राज्य भूमि (I) मोटर मार्ग निर्माण हेतु (II) मकड़िपनं हेतु	600	7	0.420 0.195
3	वन पंचायत भूमि	शून्य	शून्य	शून्य
	वनभूमि का योग:-	600	-	0.615
4	नाप भूमि	700	9	0.630
	कुल योग:-	1300	-	1.245

अतः वन भूमि प्रस्ताव गठित कर स्वीकृति हेतु प्रेषित किये जा रहे हैं, ताकि वन भूमि हस्तान्तरण के पश्चात् मार्ग निर्माण कार्य प्रारम्भ किया जा सके।



अमीन

निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग
ऊखीमठ (रुद्रप्रयाग)



कनिष्ठ अभियन्ता

निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग
ऊखीमठ (रुद्रप्रयाग)



सहायक अभियन्ता

निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग
ऊखीमठ (रुद्रप्रयाग)



अधिसूचि अभियन्ता

निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग
ऊखीमठ (रुद्रप्रयाग)

Authrity Letter

Er. Andeep Rana, Assistant Engineer son of Sh. D. S. Rana is hereby authorised to upload the Land Transfer Proposal regarding Roads and Bridges of Construction Division, P.W.D. Ukhimath (Agency name) on the Goverment of India portal www.forestclearance.nic.in on behalf of Er. Manoj Das, Executive Engineer (head of the Instituion name /designation)



(Manoj Das)

Executive Engineer,
C.D, P.W.D. Ukhimath

प्रपत्र-2

परिशिष्ट

(देखिए नियम -6)

फार्म- 'क'

1. सरकारों तथा अन्य प्राधिकारियों द्वारा प्रस्तावों की धारा-2 के अन्तर्गत पूर्व अनुमति लेने का फार्म

भाग-1

(प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा भरे जाने के लिए)

परियोजना विवरण

- (i) अपेक्षित वन भूमि के लिए प्रस्ताव/परियोजना/स्कीम का संक्षिप्त विवरण। :- मा० मुख्यमंत्री जी की घोषणा संख्या-553/2015 के अन्तर्गत जनपद-रूद्रप्रयाग के विधानसभा क्षेत्र-केदारनाथ के विकासखण्ड, अगस्त्यमुनि में बेड़बगड़-जगोठ मोटर मार्ग से सौड़ी गाँव तक मोटर मार्ग के नव निर्माण हेतु वन भूमि का लो०नि०वि० को हस्तान्तरण।
- (ii) 1:50000 स्केल मैप पर वन भूमि और उसके आस पास के वनों की सीमाओं को दर्शाने वाला डिजिटल मैप। :- संलग्न
- (iii) परियोजना लागत। :- रु० 17.82 लाख
- (iv) वन क्षेत्र में परियोजना स्थापित करने का औचित्य। :- प्रपत्र 11 (पृष्ठ संख्या 29) के अनुसार
- (v) लागत लाभ विश्लेषण (संलग्न किए जाने के लिए)। :- लागू नहीं है।
- (vi) रोजगार जिनके पैदा होने की संभावना है। :- 2156 मानव दिवस
- 2- कुल अपेक्षित भूमि का उद्देश्यवार विवरण। :- प्रपत्र 16 (पृष्ठ संख्या 35) के अनुसार
- 3- परियोजना के कारण लोगों का हटाने का विवरण, यदि कोई है। :- लोगों का विस्थापन नहीं हो रहा है।
- (i) परिवारों की संख्या। :- शून्य
- (ii) अनुसूचित जाति/जनजाति के परिवारों की संख्या। :- शून्य
- (iii) पुनर्वास योजना (संलग्न किए जाने लिए)।
- 4- क्या पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के अन्तर्गत मंजूरी आवश्यक है? (हाँ/नहीं) :- नहीं
- 5- प्रतिपूरक वनीकरण करने तथा उसके अनुरक्षण और/या दण्डसवरूप प्रतिपूरक वनीकरण की लागत के साथ-साथ राज्य सरकार द्वारा तैयार की गई योजना के अनुसार संरक्षण लागत और सुरक्षा क्षेत्र आदि में पुनः वनीकरण की वचनबद्धता (वचनबद्धता संलग्न की जाए) :- संलग्न
- 6 निर्देशों के अनुसार संलग्न अपेक्षित प्रमाणपत्रों /दस्तावेजों का व्यौरा। :- विषय सूची के अनुसार संलग्न है

तिथि 30/10/2017

स्थान ऊखिमठ

(ड० मनीज दास)

अधिशासी अभियन्ता

निर्माण खण्ड लोक निर्माण विभाग

ऊखीमठ (रूद्रप्रयाग)

प्रस्ताव की राज्य क्रम संख्या

(प्राप्ति की तारीख के साथ नोटल अधिकारी द्वारा मरा जाना है)

(सम्बन्धित उप वन संरक्षक द्वारा भरा जाना है।)

प्रस्ताव की अन्य इन संख्याएँ.....
 1. संक्षेपित/संक्षेप का स्थान

- (i) वन्य/संघ शासित क्षेत्र। :- मा० मुख्यमंत्री जी की घोषणा संख्या-553/2015 के अन्तर्गत जनपद-रूद्रप्रयाग के विधानसभा क्षेत्र-केदारनाथ के विकासखण्ड, अगस्त्यमुनि में बेडूबगड़-जगोठ मोटर मार्ग से सौड़ी गाँव तक मोटर मार्ग के नव निर्माण हेतु वन भूमि का लो०नि०वि० को हस्तान्तरण।
- (ii) जिला :- उत्तराखण्ड
- (iii) वन प्रभाग :- रूद्रप्रयाग
- (iv) वनेतर प्रयोग के लिए प्रस्तावित वन भूमि का क्षेत्र (हेक्टे.में) :- रूद्रप्रयाग वन प्रभाग
- (v) वन की कानूनी स्थिति :- 0.615 है.
- (vi) हरियाली का घनत्व :- राज्य भूमि
- (vii) प्रजाति-वार (वैज्ञानिक नाम) और परिधि श्रेणीवार वृक्षों की परिगणना (संलग्न की जाए)। सिंचाई/जलीय परियोजनाओं के सम्बन्ध में एफ.आर.एल., एफ.आर.एल.-2 मीटर पर परिगणना और एफ.आर.एल. -4 मीटर भी संलग्न किए जाए)। :- 0.30-0.40
- (viii) भूक्षरण के लिए वन क्षेत्र की संवेदनशीलता पर संक्षिप्त टिप्पणी। :- सूची संलग्न है।
- (ix) वनेतर प्रयोग के लिए प्रस्तावित स्थल की वन की सीमा से अनुमानित दूरी :- भूक्षरण की सम्भावना नहीं है।
- (x) क्या फार्म राष्ट्रीय उद्यान, वन्यजीव अभयारण, जैवमण्डल रिजर्व, बाघ रिजर्व, हाथी कोरीडोर आदि का भाग है। (यदि हाँ, क्षेत्र का व्यौरा और प्रमुख वन्यजीव वार्डन की टिप्पणी अनुबद्धित की जाए) :- 2.5 Km
- (xi) क्या क्षेत्र में वनस्पति और प्राणिजात की दुर्लभ/संकटापन्न विशिष्ट प्रजातियाँ पाई जाती हैं। यदि हाँ/ तो तत्सम्बन्धी व्यौरा दें। :- नहीं
- (xii) क्या कोई सुरक्षित पुरातत्तीय/पारस्परिक स्थल/रक्षा प्रतिष्ठान और कोई अन्य महत्वपूर्ण स्मारक क्षेत्र में स्थित है। यदि हाँ, तो तत्सम्बन्धी व्यौरा सहित प्राधिकरण से अनापत्ति प्रमाणपत्र के साथ यदि अपेक्षित हो दें। :- नहीं
- 8- प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा भाग-1 कालम 2 में प्रस्तावित वन भूमि की आवश्यकता परियोजना के लिए अपरिहार्य और न्यूनतम है यदि नहीं तो जांचे गये विकल्पों के व्यौरों के साथ गदवार संस्तुति क्षेत्र क्या है। :- प्रस्तावित वनभूमि न्यूनतम है प्रमाण-पत्र संलग्न है।
- 9- क्या अधिनियम के उल्लंघन में कोई कार्य किया गया है। (हाँ/नहीं) यदि हाँ, तो कार्य की अवधि, दोषी अधिकारियों पर की गई कार्रवाई सहित कार्य का व्यौरा दे क्या उल्लंघन सम्बन्धी कार्य अभी भी चल रहे हैं। :- मार्ग निर्माण कार्य अभी प्रारम्भ नहीं किया है अतः कोई उल्लंघन नहीं हुआ है।
- 10- प्रतिपूरक वनीकरण स्कीम का व्यौरा :- संलग्न
- (i) प्रतिपूरक वनीकरण के लिए अभिनिर्धारित वनेतर क्षेत्र/अवक्रमित वन क्षेत्र आस-पास के वन से इसकी दूरी, भू-खण्डों की संख्या प्रत्येक :- संलग्न
- (ii) प्रतिपूरक वनीकरण के लिए अभिनिर्धारित वनेतर /अवक्रमित वन क्षेत्र और आस-पास की वन सीमाओं को दर्शाता मैप। :- संलग्न
- (iii) रोपित की जाने वाली प्रजाति सहित प्रतिपूरक :- संलग्न

- (1) वनीकरण स्कीम के विवरण कार्यान्वयन एजेंसी, समय अनुसूची लागत ढांचा आदि।
- (2) प्रतिपूरक वनीकरण स्कीम के लिए कुल वित्तीय परिव्यय।
- (3) प्रतिपूरक वनीकरण के लिए अभिनिर्धारित क्षेत्र की उपयुक्तता के बारे में और प्रबन्धकीय दृष्टिकोण से सक्षम प्राधिकरण से प्रमाण पत्र (सम्बन्धी उप वन संरक्षक द्वारा हस्ताक्षरित किया जाए)
11. जिला वन संरक्षक की स्थल निरीक्षण रिपोर्ट विशेषतः उपर्युक्त कालम 7 (xi,xii) 8 और 9 में पूछे गए तथ्यों को दर्शाते हुए (संलग्न करें)
12. प्रमाण / जिला प्रोफाइल जिले का वन क्षेत्र
- (1) मामलों की संख्या सहित 1980 से वनेतर प्रयोग में लाया गया कुल वन क्षेत्र
- (2) 1980 से जिला / प्रभाग में निर्धारित कुल प्रतिपूरक वनीकरण
- (क) दण्ड के रूप में प्रतिपूरक वनीकरण सहित वन भूमि
- (ख) वनेत्तर भूमि पर
- (अ) 2017 तक प्रतिपूरक वनीकरण में हुई प्रगति
- (क) वन भूमि पर
- (ख) वनेत्तर भूमि पर
13. प्रस्ताव को स्वीकृत करने अथवा प्रस्ताव को अन्यथा लेने के सम्बन्ध में उप वन संरक्षक की विशेष सिफारिश।

:- संलग्न

:- संलग्न

:- संलग्न

:- कुल प्रमाण वन प्रमाण / स.प्रमाण

:- 1790.995 hae.

:- 163 Case, 606.979 hae

:- 1158.614 hae.

:- x

:-

:-

:- 1158.614 hae.

:- योजना विकास कार्य से सम्बन्धित है सिफारिश की जाती है


वन संरक्षक, जिला
गस्त्यमुरी

दिनांक :-
स्थान:-


प्रभागीय वनाधिकारी

भाग 3

(सम्बन्धित वन संरक्षक द्वारा भरा जाना है)

- स्थल, जंहा की वन भूमि शामिल की गई है क्या :-
इसका सम्बन्धित वन संरक्षक ने निरीक्षण किया है
14. (हां/नहीं) यदि हां तो निरीक्षण की तारीख और किए गए प्रक्षेपों को, निरीक्षण नोट के रूप में संलग्न करें।
15. क्या सम्बन्धित वन संरक्षक भाग ख में दी गई सूचना :-
और उप वन संरक्षक के सुझावों से सहमत हैं।
16. प्रस्ताव को स्वीकृति या अन्यथा के बारे में संबन्धित :-
वन संरक्षक की विस्तृत कारणों के साथ विशेष सिफारिशें।

हस्ताक्षर

दिनांक:-

नाम:-

स्थान:-

सरकारी मोहर

भाग IV

(नोडल अधिकारी अथवा प्रधान मुख्य वन संरक्षक अथवा अध्यक्ष वन विभाग द्वारा भरे जाने के लिए)

- टिप्पणी के साथ प्रस्ताव वन स्वीकार करने या :-
अन्यथा के लिए राज्य वन विभाग की विस्तृत राय और निर्दिष्ट सिफारिशें।
- (राय देते समय, सम्बन्धित वन संरक्षक अथवा उप :-
वन संरक्षक की प्रतिकूल टिप्पणियों की सुस्पष्ट समीक्षा की जाए और विवेकात्मक टिप्पणी दी जाए।)

हस्ताक्षर

दिनांक:-

नाम:-

स्थान:-

सरकारी मोहर

भाग V

12. राज्य सरकार सिफारिश। :-

(उत्सृज्य भाग II या भाग III या भाग IV में :-
किसी अधिकारी या प्राधिकारी द्वारा की गई
प्रतिकूल टिप्पणियों पर विशिष्ट टिप्पणी की जाय)

दिनांक:-
स्थान:-

हस्ताक्षर

नाम:-
सरकारी मोहर

(वन विभाग के प्रभारी सचिव अथवा राज्य सरकार के किसी अन्य प्राधिकृत अधिकारी जो अपर सचिव के पद के नीचे का अधिकारी न हो द्वारा भरा जाना है)

प्रपत्र-5

परियोजना का नाम:- मा० मुख्यमंत्री जी की घोषणा संख्या-553/2015 के अन्तर्गत जनपद-रूद्रप्रयाग के विधानसभा क्षेत्र-केदारनाथ के विकासखण्ड, अगस्त्यमुनि में बेडूबगड़-जगोठ मोटर मार्ग से सौड़ी गाँव तक मोटर मार्ग के नव निर्माण हेतु वन भूमि का लो०नि०वि० को हस्तान्तरण।

प्रस्तावित परियोजना की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति

परियोजना के निर्माण हेतु शासन/विभागध्यक्ष द्वारा निर्गत प्रशासनिक तथा वित्तीय स्वीकृति के अदेश की प्रमाणित प्रति प्रस्ताव के साथ संलग्न है।



कनिष्ठ अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग
ऊखीमठ (रूद्रप्रयाग)



सहायक अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग
ऊखीमठ (रूद्रप्रयाग)



अधिशासी अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग
ऊखीमठ (रूद्रप्रयाग)

संख्या- 2724 / 11(2) / 15-05(मु0म0सा0) / 2015

अरविन्द सिंह ह्यांकी,
अपर सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

प्रमुख अभियन्ता,
लोक निर्माण विभाग,
देहरादून।

निर्माण अनुभाग-2

देहरादून: दिनांक: 24 अप्रैल, 2015

वित्तीय वर्ष 2015-16 में मा0 मुख्यमंत्री जी की घोषणान्तर्गत लोक निर्माण विभाग के अन्तर्गत विभिन्न 63 कार्यों की प्रथम चरण की प्रशासकीय एवं वित्तीय तथा व्यय की स्वीकृति।

उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि क्षेत्रीय मुख्य अभियन्ता, लो0नि0वि0, उत्तराखण्ड द्वारा मा0 मुख्यमंत्री जी की घोषणान्तर्गत संलग्न विवरणानुसार प्रथम चरण की स्वीकृति हेतु उपलब्ध गये विभिन्न 63 कार्यों के प्रारम्भिक आगणनों पर विभागीय टी0ए0सी0 द्वारा औचित्यपूर्ण पाई गई लागत 26.21 लाख (२६ सीतीस करोड़ छब्बीस लाख इक्कीस हजार मात्र) की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान हुए चालू वित्तीय वर्ष 2015-16 में संलग्नक के कॉलम सं0-5 पर उल्लिखित विवरणानुसार प्रति कार्य ₹ 0.10 अर्थात् कुल 63 कार्यों हेतु ₹ 6.30 लाख (६ छः लाख तीस हजार मात्र) की धनराशि, व्यय हेतु आपके निवर्तन जाने की महामहिम श्री राज्यपाल निम्नांकित शर्तों के अधीन सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

उक्त स्वीकृति के आधार पर विभाग द्वारा समस्त प्रक्रियात्मक कार्यों को समयबद्ध रूप से पूर्ण किया जायेगा। शान्त शासनादेश सं0-1764/11(2)/10-17(सामान्य)/2008 दिनांक 17 जून, 2010 की व्यवस्थानुसार तैयार रिपोर्ट तैयार कर शासन को वित्तीय स्वीकृति हेतु प्रस्तुत की जायेगी। विस्तृत परियोजना रिपोर्ट शासन से अनुमोदन प्राप्त होने के उपरान्त ही निर्माण कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।

आगणन में उल्लिखित दरों का विश्लेषण विभाग के अधीक्षण अभियन्ता द्वारा स्वीकृत/अनुमोदित दरों को दरें शैडयूल आफ रेट में स्वीकृत नहीं हैं, अथवा बाजार भाव से ली गई हो, की स्वीकृति पर नियमानुसार अग्र अभियन्ता का अनुमोदन आवश्यक होगा।

कार्य पर उतना ही व्यय किया जाय जितना की स्वीकृत नार्म है, स्वीकृत नार्म से अधिक व्यय कदापि न जाय। यदि प्रथम चरण हेतु स्वीकृत की जा रही धनराशि में वचत हो रही है तो उसका सामंजस्य विस्तृत धन तैयार करते समय किया जायेगा।

कार्य कराने से पूर्व समस्त औपचारिकताएं तकनीकी दृष्टि के मध्य नजर रखते हुए एवं लोक निर्माण विभाग प्रचलित दरों/विशिष्टियों के अनुरूप ही कार्यों को सम्पादित कराते समय पालन करना सुनिश्चित करें।

आगणन में जिन मदों हेतु जो राशि स्वीकृत की गई है व्यय उसी मद में किया जाय, एक मद को दूसरी में व्यय कदापि न किया जाय।

स्वीकृत किया जाने वाला कार्य उत्तराखण्ड प्रोक्योरमेंट रूलस-2008 एवं उक्त के विषय में समय-समय पर निर्गत समस्त दिशा निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन किया जायेगा। इसके अतिरिक्त बजट मेनुअल के निर्देशों का भी अनुपालन किया जायेगा।

(ii)- मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश सं0- 2047/XIV-219(2006) दिनांक 30-05-2006 द्वारा निर्गत आदेशों का कार्य कराते समय या आगणन गठित करते समय कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(iii)- उक्तानुसार स्वीकृत आगणनों में एन0पी0वी0, भूमि अधिग्रहण, यूटिलिटी शिफ्टिंग आदि मदों के सम्बन्ध में आवश्यक व्यय अनुदान सं0-22-लेखापीशंक-5054 सड़कों तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय-04 जिला तथा अन्य सड़कों- आयोजनागत-800-अन्य व्यय-05-सड़क/भवन/सेतु आदि हेतु भूमि अधिग्रहण -00-24 वृहत निर्माण कार्य में विभागीय आय-व्यय में प्राविधानित निवर्तन पर रखी गयी धनराशि से किया जायेगा।

Photo Copy Attached

अरविन्द सिंह ह्यांकी
अपर सचिव
उत्तराखण्ड शासन

शासनादेश संख्या- 2724/11(2)/15-05(मु0म0प्र0)/2015 दिनांक 24 अप्रैल, 2015 का सलग्नक

(धनराशि लाख ₹ में)

क्र० सं०	कार्य का नाम	लम्बाई किमी० में	टी०प०स० द्वारा अनुमोदित लागत	चातुर्वितीय वर्ष में व्यय हेतु अवमुक्त धनराशि
1	2	3	4	5
1	मा० मुख्यमंत्री घोषणा संख्या- 272/2015 के अन्तर्गत जनपद रुद्रप्रयाग के विधान सभा क्षेत्र कंदारनाथ के विकास खण्ड ऊखीमठ के अन्तर्गत मस्ता से स्थिकोटे-कालीगढ़ वैकल्पिक मोटर मार्ग व पुल का निर्माण।	7.00 + 3 No.	71.72	0.10
2	मा० मुख्यमंत्री घोषणा संख्या- 278/2015 के अन्तर्गत जनपद रुद्रप्रयाग के विधान सभा क्षेत्र-कंदारनाथ के विकास खण्ड अगस्त्यमुनी के अन्तर्गत ग्राम ऐरा (सेरा) के नीचे कथुजा गाड़ पर पंचल पुल का निर्माण कार्य।	30 mt	1.20	0.10
3	मा० मुख्यमंत्री घोषणा संख्या-553/2015 के अन्तर्गत जनपद रुद्रप्रयाग के विधानसभा क्षेत्र-कंदारनाथ के विकास खण्ड, अगस्त्यमुनि में भणज-ग्याड़-मथकण्डी मोटर मार्ग का निर्माण कार्य।	2.00	17.72	0.10
4	मा० मुख्यमंत्री घोषणा संख्या-553/2015 के अन्तर्गत जनपद रुद्रप्रयाग के विधानसभा क्षेत्र-कंदारनाथ के विकास खण्ड अगस्त्यमुनि में चन्नापुरी-गुगली मोटर मार्ग के ककोला से सेरा-टकरौली मोटर मार्ग का निर्माण।	2.00	18.16	0.10
5	मा० मुख्यमंत्री घोषणा संख्या-553/2015 के अन्तर्गत जनपद रुद्रप्रयाग के विधानसभा क्षेत्र-कंदारनाथ के विकास खण्ड, अगस्त्यमुनि में नारायणकोटी-कूठंडा-देवसाल मोटर मार्ग का निर्माण कार्य।	2.00	18.16	0.10
6	मा० मुख्यमंत्री घोषणा संख्या-553/2015 के अन्तर्गत जनपद रुद्रप्रयाग के विधानसभा क्षेत्र-कंदारनाथ के विकास खण्ड, अगस्त्यमुनि में डेडुवाड़-जगौठ मोटर मार्ग से सोडी गांव तक मोटर मार्ग का निर्माण कार्य।	2.00	17.82	0.10
7	मा० मुख्यमंत्री घोषणा संख्या-553/2015 के अन्तर्गत जनपद रुद्रप्रयाग के विधानसभा क्षेत्र-कंदारनाथ के विकास खण्ड अगस्त्यमुनि में क्यार्क-बरसुडी-मेरों बैण्ड से जमैधी तक मोटर मार्ग का निर्माण कार्य।	2.00	17.84	0.10
8	मा० मुख्यमंत्री घोषणा संख्या-553/2015 के अन्तर्गत जनपद रुद्रप्रयाग के विधानसभा क्षेत्र-कंदारनाथ के विकास खण्ड अगस्त्यमुनि में जाबरी-पाटियों-गुनास-भोली-कलई-कोड़ा-चन्द्रनगर मोटर मार्ग का निर्माण कार्य।	5.00	44.30	0.10
9	मा० मुख्यमंत्री घोषणा संख्या-817/2014 के अन्तर्गत जनपद अल्मोड़ा के विधानसभा क्षेत्र-जागेहर में अल्मोड़ा-शहरफाटक मोटर मार्ग के गड़मानी से ग्राम बजौली-गवालदलों अनु जाति चस्ती तक मोटर मार्ग का नवनिर्माण कार्य।	5.00	42.58	0.10
10	मा० मुख्यमंत्री घोषणा संख्या-884/2014 के अन्तर्गत जनपद अल्मोड़ा के विधानसभा क्षेत्र-जागेहर के विकास खण्ड लमागाड़ा में घौमू से कलसीगा तक मोटर मार्ग का नवनिर्माण कार्य।	3.00	24.70	0.10

सहायक अभियन्ता
जनपद रुद्रप्रयाग
ऊखीमठ (केंद्र स्थित)

Photo Copy Attested

निर्माण कार्य के लिए
काम के निष्पत्ति

-8-

सहायक संख्या- 2724/111(2)/15-05(गोमोघो)/2015 दिनांक 21 अप्रैल, 2015 का संलग्नक

महो मुख्यामंत्रि घोषणा संख्या-442/2015 के अन्तर्गत जनपद पोड़ी के विधान सभा क्षेत्र-समकेश्वर के अन्तर्गत जोतधार से सार तक मोटर मार्ग का निर्माण कार्य।	1.50	20.66	0.10
महो मुख्यामंत्रि घोषणा संख्या-450/2015 के अन्तर्गत जनपद पोड़ी के विधान सभा क्षेत्र-समकेश्वर के अन्तर्गत चरेख-धरगांव मोटर मार्ग का विस्तार कार्य।	5.00	70.65	0.10
महो मुख्यामंत्रि घोषणा संख्या-744/2014 के अन्तर्गत जनपद दिहरी के विधान सभा क्षेत्र-प्रतापनगर के अन्तर्गत धनराली-दिहरी-प्रतापनगर से जखिण्डा मोटर मार्ग का निर्माण कार्य।	4.00	62.15	0.10
महो मुख्यामंत्रि घोषणा सं 625/2014 के अन्तर्गत जनपद देहरादून में विधानसभा क्षेत्र-रायपुर में नवगठित ग्राम सभा मण्डूवाला में बारातघर व सड़कों का निर्माण कार्य।		1.92	0.10
महो मुख्यामंत्रि घोषणा सं-600/2014 के अन्तर्गत जनपद देहरादून में विधानसभा क्षेत्र-रायपुर में गीतापानी सेव नाले पर दो लेन सेतु का निर्माण कार्य।	1 No.	4.95	0.10
	311.00 + 16 Brg	3726.21	6.30

(कुल र छः लाख तीस हजार मात्र)

(ए०एस० पांगती)
उप सचिव

सहायक अभियन्ता
नि० अ० लो० नि० वि०
ऊखीमठ (रुद्रप्रयाग)

Photo Copy Attested

सहायक अभियन्ता
निर्माण अण्ड लो० नि० वि०
ऊखीमठ (रुद्रप्रयाग)

सहायक अभियन्ता
निर्माण अण्ड लो० नि० वि०
ऊखीमठ (रुद्रप्रयाग)

-2-

स्वीकृत किये जा रहे कार्यों की गुणवत्ता एवं समयबद्धता का सम्पूर्ण दायित्व संयुक्त अधिशारी अभियन्ता

वर्तमान में व्यय हेतु अनुमति की जा रही धनराशि का व्यय 31-03-2016 तक सुनिश्चित किया जायेगा।
स्वीकृत कार्य के सापेक्ष चालू वित्तीय वर्ष में अतिरिक्त धनराशि की आवश्यकता होती है तो उसका व्यय संगत
में निवर्तन में रखी गई धनराशि से नियमानुसार किया जायेगा।

(1) यदि स्वीकृत किये जा रहे कार्यों में से कोई कार्य अथवा उसका कोई भाग प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क
योजनांतर्गत स्वीकृत है अथवा उसे प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के अन्तर्गत स्वीकृत किया जा सकता है, तो
से कार्य की स्वीकृति स्वतः निरस्त समझी जायेगी।

(2) प्रथम धरण के कार्य हेतु यदि किसी अन्य समरूप कार्य हेतु पूर्ण में कराई गई डिजाइन/मानक, पूर्ण रूप
अथवा आंशिक रूप से विषयगत कार्य हेतु प्रयोग की जा सकती है, तो मितव्ययता की दृष्टि को ध्यान में रखते
ए तदनुसार कार्यवाही की जाय।

(3) इस संबंध में होने वाला व्यय वर्तमान वित्तीय वर्ष 2015-16 में लोक निर्माण विभाग के अनुदान
सं-22-लेखाधीन-5054 सड़कों तथा सेतुओं पर पूंजीगत परियोजना-04 जिला तथा अन्य सड़कों -आयोजनागत
-800-अन्य व्यय-03 राज्य सेक्टर-02 नया निर्माण कार्य-24 बृहत निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा।

(4) यह आदेश वित्त अनुभाग-2 के अशासकीय संख्या- 38/XXVII/(2)/2015 दि०- 22 अप्रैल, 2015 को
प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

संलग्नक- यथोपरि।

भवदीय,

(अरविन्द सिंह हयांकी)
अपर सचिव

संख्या- 2724 / III(2)/15-05(मु०म०घ००)/2015 तत्तदिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित :-

1. महालेखाकार (लेखा प्रथम), ओबराय मोटर्स बिल्डिंग, माजरा देहरादून।
2. आयुक्त, राबवाल/कुमार, मण्डल, पौड़ी/नैनीताल।
3. सम्बन्धित जिलाधिकारी।
4. सम्बन्धित क्षेत्रीय मुख्य अभियन्ता, लो.नि.वि., उत्तराखण्ड।
5. सम्बन्धित मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।
6. निदेशक, राष्ट्रीय सूचना केन्द्र, उत्तराखण्ड, देहरादून।
7. वित्त अनुभाग-2, उत्तराखण्ड शासन।
8. मुख्यमंत्री घोषणा अनुभाग-4, उत्तराखण्ड शासन।
9. सम्बन्धित अधीक्षण अभियन्ता/अधिशारी अभियन्ता लो०नि०वि०, उत्तराखण्ड।
10. गार्ड फाइल।

5/10/15

21/9/15

संख्या- 500/31/2015/

मान वि० क०

19/9/15

युवा सहायक अभियन्ता
निर्माण एवं संरक्षण वि०
क० (उत्तराखण्ड)

आज्ञा स.
(ए०एस० पांगती)
उप सचिव

Photo Copy Attached

सहायक अभियन्ता
निर्माण एवं संरक्षण वि०
क० (उत्तराखण्ड)

प्रपत्र - 6

परियोजना का नाम:- मा० मुख्यमंत्री जी की घोषणा संख्या-553/2015 के अन्तर्गत जनपद-रूद्रप्रयाग के विधानसभा क्षेत्र-केदारनाथ के विकासखण्ड, अगस्त्यमुनि में बेडूबगड़-जगोठ मोटर मार्ग से सौड़ी गाँव तक मोटर मार्ग के नव निर्माण हेतु वन भूमि का लो०नि०वि० को हस्तान्तरण।

प्रारम्भिक संयुक्त निरीक्षण रिपोर्ट (प्रमाण पत्र)

प्रमाणित किया जाता है कि आज दिनांक 1-03-2017 को राज्य भूमि में प्रत्यावर्तन प्रस्ताव तैयार करने हेतु संयुक्त निरीक्षण किया गया। संयुक्त निरीक्षण के समय वन विभाग की ओर से श्री लक्ष्मण सिंह सणा (वन दरोगा), एवं राजस्व विभाग की ओर से श्री एतेन्द्र सिंह शणा सा०उ०नि० अगस्त्यमुनि एवं लोक निर्माण विभाग की ओर से श्री प्रदीप सेमवाल (कनिष्ठ अभियन्ता), श्री विष्णुदत्त नौटियाल (अमीन), श्री मनवर सिंह रावत (कार्यअभिकर्ता) द्वारा संयुक्त निरीक्षण में भाग लिया गया। संयुक्त निरीक्षण के समय पाया गया कि उपरोक्त परियोजन हेतु निम्नानुसार राज्य भूमि 0.420 है० मोटर मार्ग निर्माण हेतु व 0.195 है० मक डिस्पोजल हेतु अर्थात् कुल वनभूमि 0.615 है० प्रभावित हो रही है। परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वनभूमि के अतिरिक्त अन्य कोई वैकल्पिक भूमि उपलब्ध नहीं है, आवेदित राज्य भूमि की माँग न्यूनतम है। परियोजना के निर्माण हेतु लोक निर्माण विभाग द्वारा सुझाये गये अन्य विकल्पों पर भी विचार किया गया व वर्तमान विकल्प / संरक्षण को सर्वदा उपयुक्त पाया गया। प्रश्नगत परियोजना जनहित में किया जाना है, व इस परियोजना के निर्माण से 1 गाँव व 179 जनसंख्या लाभान्वित होगी।

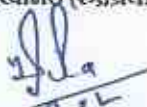
आवेदित वनभूमि में 81 वृक्षों का पातन निहित है। जिसकी प्रजातिवार / व्यासवार सूची प्रस्ताव में संलग्न है।


अमीन
निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग
ऊखीमठ (रूद्रप्रयाग)


कनिष्ठ अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग
ऊखीमठ (रूद्रप्रयाग)


कनिष्ठ अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग
ऊखीमठ (रूद्रप्रयाग)


अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग
ऊखीमठ (रूद्रप्रयाग)


राजस्व उप निरीक्षक


तहसीलदार
तहसीलदार
जनपद रूद्रप्रयाग


उपनिर्देशिका
रूद्रप्रयाग


अगस्त्यमुनि


प्रभारी वनधिकारी
रूद्रप्रयाग वन प्रभाग
रूद्रप्रयाग


जिलाधिकारी
रूद्रप्रयाग

प्रपत्र-7

SITE INSPECTION REPORT NOT BELOW THE RANK OF DCF

(For the forest land to be diverted under FCA)

A proposal has been received by this office from Executive Engineer, Construction Division, P.W.D. Ukhimath (For diversion under FCA-1980) of 0.615 ha. of forest land non-forestry purpose. The Project envisages the use of forest land for improvement of Bedubagar-jagoth motor road to sauri village motor road The site inspection of the land involved in the proposal has done by me on dated-----.

On inspection of the site, it is found that the land required by the user agency is a RF/PF/un-classed/Protect forest measuring 0.615 ha.

The requirement of forest land as proposed by the user agency in col. 2 part-I is unavoidable and is barest minimum required for the project.

Whether any rare/endangered/unique species of flora and fauna found in the area. If, so the details there of:-

Whether any protected archeological/heritage site/defense establishment or any other important monuments is located in the area, if, so the details there of with NOC from competent authority, if required:-

a). The user agency has not violated the provisions of forest (Conservation), Act. 1980 and no work has been started without proper sanction.

b). It has been found that the user agency has violated the forest (Conservation), Act. 1980 provisions. A detail report as per para 1.9 of chapter 1, para C of Handbook of forest (Conservation), Act. 1980 is attached.

Specific recommendation for acceptance or otherwise of the proposal.

(Signature)

Place-----

Date-----

Name-----

Designation-----

Office Seal-----

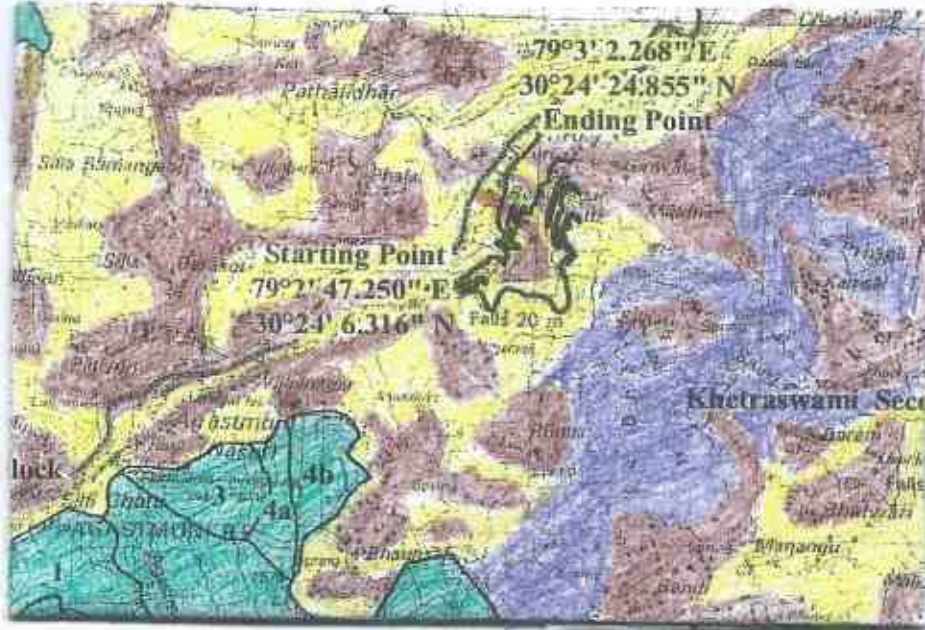
N.B. X State the purpose of which the forest land is proposed to be diverted.

XX Out of (a) and (b) tick the option which is applicable and cross the option which is not applicable.

As per letter number 2-2/2000 FC dated 16-10-2000 from Ministry of Environment & Forests, Government of India for proposal involving less than 40 hectares of forest land, the site inspection report from DCF is required and for proposal involving more than 40 hectares of forest land site inspection report from the conservation of forests is required

परियोजना का नाम- मा. मुख्यमंत्री जी की घोषणा संख्या-553/2015 के अन्तर्गत जनपद-रुद्रप्रयाग के विधानसभा क्षेत्र-केदारनाथ के विकासखण्ड, अमरस्यगुनि में वेडूबगड़-जगोठ मोटर मार्ग से सौड़ी गाँव तक मोटर मार्ग के नव निर्माण हेतु वन भूमि का लोकोपयोग को हस्तान्तरण।

प्रस्तावित परियोजना का स्थल मानचित्र 1:50,000



[Signature]

अमीन

निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग
ऊखीमत (रुद्रप्रयाग)

[Signature]
संयोजक उप निरीक्षक

[Signature]
तहसीलदार
रुद्रप्रयाग
जनपद रुद्रप्रयाग

[Signature]

कनिष्ठ अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग
ऊखीमत (रुद्रप्रयाग)

[Signature]

सहायक अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग
ऊखीमत (रुद्रप्रयाग)

[Signature]
उप निरीक्षक
रुद्रप्रयाग

[Signature]
वन अधिकारी
रुद्रप्रयाग

[Signature]
उप निरीक्षक
रुद्रप्रयाग वन विभाग
रुद्रप्रयाग

1	प्रस्तावित मोटर मार्ग	
2	वैकल्पिक संरक्षण	
3	मुख्य मोटर मार्ग	
4	आरक्षित वन भूमि	
5	पंचायती वन भूमि	
6	सज्य भूमि	
7	नाप भूमि	
8	आबादी क्षेत्र	
9	नदी एवं नाला	

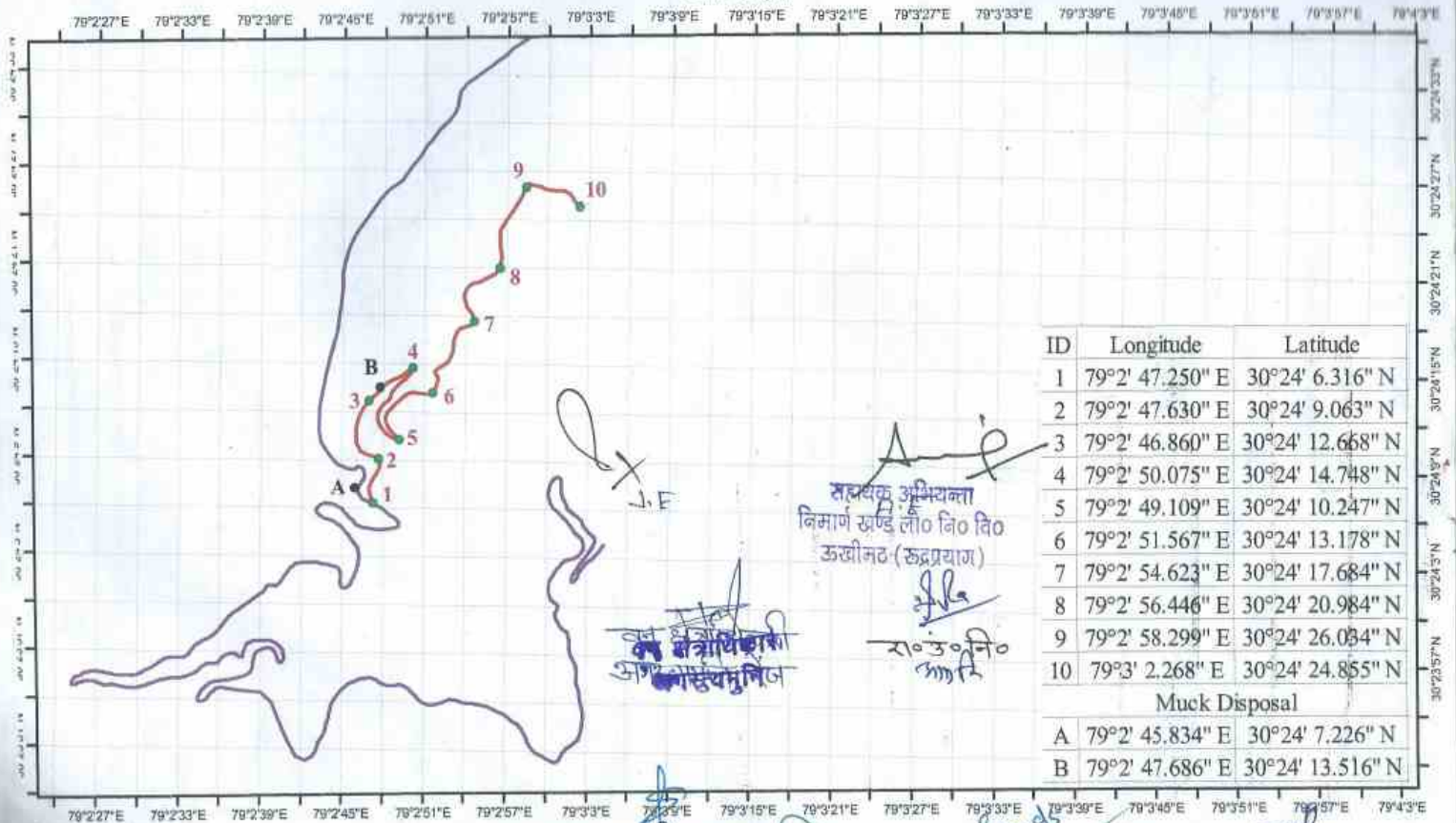
[Signature]
अधीनकारी अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग
ऊखीमत (रुद्रप्रयाग)

[Signature]
निरीक्षक
रुद्रप्रयाग

जियोरेफेरेंस मैप - जनपद रुद्रप्रयाग के विधानसभा क्षेत्र केदारनथ में विकासखण्ड अगस्त्यमुनि
के अन्तर्गत बेडूबगड़ मोटर मार्ग से सौड़ी गांव तक मोटर मार्ग के नव निर्माण हेतु

Scale - 1:20,000

Scale - 1:20,000



ID	Longitude	Latitude
1	79°2' 47.250" E	30°24' 6.316" N
2	79°2' 47.630" E	30°24' 9.063" N
3	79°2' 46.860" E	30°24' 12.668" N
4	79°2' 50.075" E	30°24' 14.748" N
5	79°2' 49.109" E	30°24' 10.247" N
6	79°2' 51.567" E	30°24' 13.178" N
7	79°2' 54.623" E	30°24' 17.684" N
8	79°2' 56.446" E	30°24' 20.984" N
9	79°2' 58.299" E	30°24' 26.034" N
10	79°3' 2.268" E	30°24' 24.855" N

Muck Disposal

A	79°2' 45.834" E	30°24' 7.226" N
B	79°2' 47.686" E	30°24' 13.516" N

Legend

- Muck Disposal Point
- GPS Coordinates
- Proposed Road
- Existing Road

तहसीलदार
रुद्रप्रयाग

उप नि० वि० कार्यालय

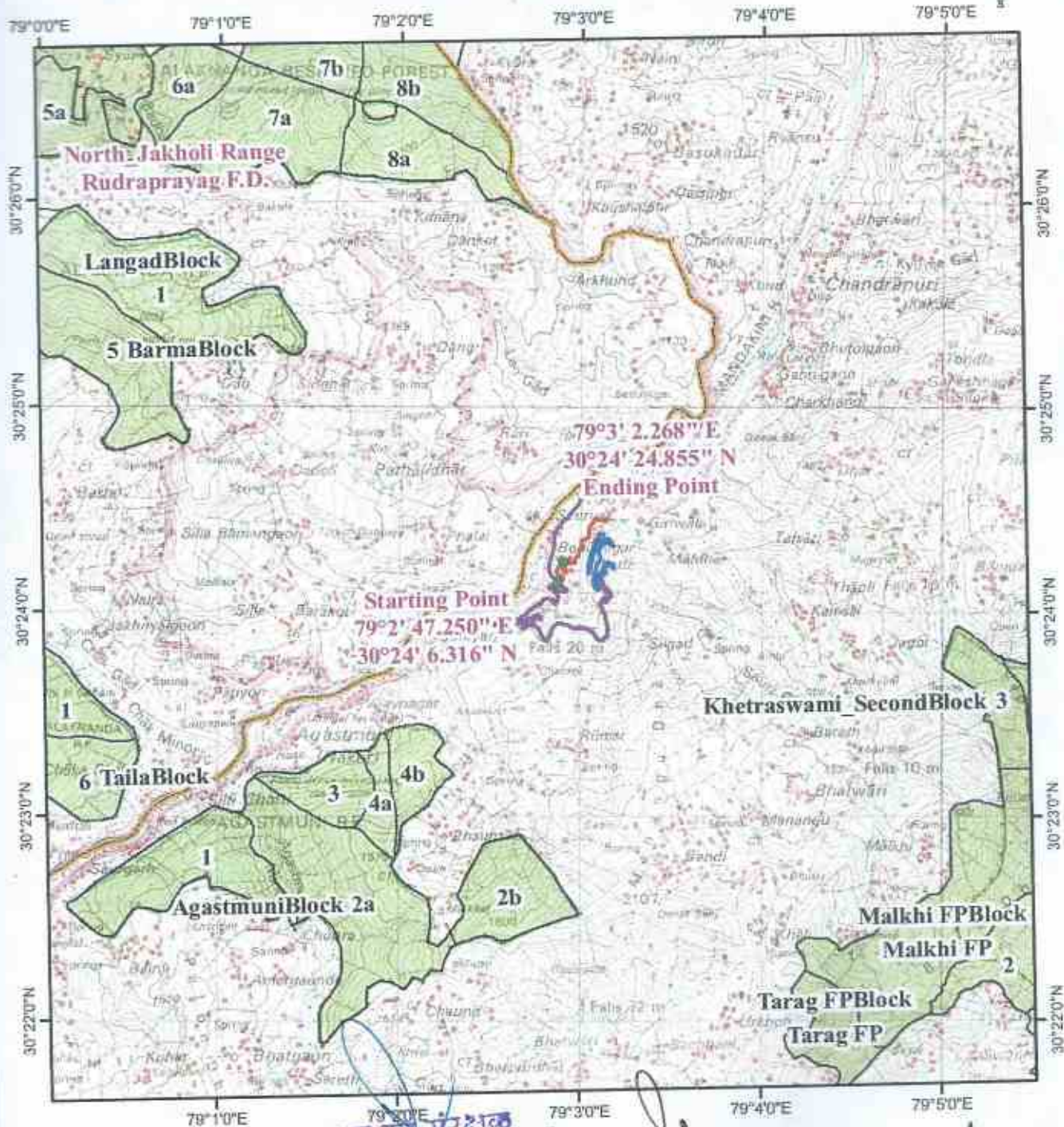
रुद्रप्रयाग विकासखण्ड प्रशासक

उप नि० वि० कार्यालय
रुद्रप्रयाग

अधिशाली अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लो० नि० वि०
ऊखीमठ (रुद्रप्रयाग)

डिजिटल मैप - जनपद रुद्रप्रयाग के विधानसभा क्षेत्र केदारनथ में विकासखण्ड अगस्त्यमुनि के अन्तर्गत बेडूबगड़ मोटर मार्ग से सौड़ी गांव तक मोटर मार्ग के नव निर्माण हेतु

0 0.5 1 1.5 2Km



Legend

- | | |
|---------------------|--------------------------|
| Muck Disposal | Reserve Forest |
| Proposed Road | Reserve Forest Boundary |
| Alternate Road | Forest Division Boundary |
| Existing Motor Road | Forest Range Boundary |

उपनिर्देशक
रुद्रप्रयाग जिला
रुद्रप्रयाग

सहायक अभियन्ता
निर्माण खण्ड लो० नि० वि०
ऊरुमिठ (रुद्रप्रयाग)

आयुक्त आभारदाता
निर्माण खण्ड लो० नि० वि०
ऊरुमिठ (रुद्रप्रयाग)

उपनिर्देशक
रुद्रप्रयाग जिला
रुद्रप्रयाग

उपनिर्देशक
रुद्रप्रयाग जिला
रुद्रप्रयाग

उपनिर्देशक
रुद्रप्रयाग जिला
रुद्रप्रयाग

उपनिर्देशक
रुद्रप्रयाग जिला
रुद्रप्रयाग

संरेखण आख्या

कार्य का नाम:- मा0 मुख्यमंत्री घोषणा संख्या-553/2015 के अर्न्तगत जनपद रुद्रप्रयाग के विधानसभा क्षेत्र-कैदारनाथ के विकासखण्ड, अगस्तमुनि में बेडूबगड-जगोठ मोटर मार्ग से सौडी गांव तक मोटर मार्ग का नव निर्माण कार्य।

मार्ग की स्वीकृति:- शासनादेश संख्या 2724 / 111(2) / 15-05(मु.म.घो.) / 2015 दिनांक 24-02-2015

स्वीकृत लम्बाई :- 2.00 किमी.
वास्तविक लम्बाई :- 1.30 किमी.

लागत :- 17.82 लाख।

संरेखण की उपयोगिता:- मा0 मुख्यमंत्री घोषणा संख्या-553/2015 के अर्न्तगत जनपद रुद्रप्रयाग के विधानसभा क्षेत्र-कैदारनाथ के विकासखण्ड, अगस्तमुनि में बेडूबगड-जगोठ मोटर मार्ग से सौडी गांव तक मोटर मार्ग का नव निर्माण कार्य स्वीकृत है। उक्त मोटर मार्ग बेडूबगड-जगोठ मोटर मार्ग के किमी. 1 है.मी. (4-6) से प्रस्तावित हैं स्वीकृत मार्ग के निर्माण हो जाने से उक्त ग्राम राष्ट्रीय राजमार्ग (107) से जुड जायेगा। इस मार्ग के निर्माण से ग्रामवासियों को तहसील एवं ब्लॉक मुख्यालय पहुंचने हेतु यातायात की सुविधा उपलब्ध हो जायेगी। मार्ग का संरेखण जिस पर स्थानीय ग्रामवासियों की भी सहमति है।

अतः मार्ग का संरेखण तकनीकी दृष्टिकोण एवं स्थानीय ग्रामवासियों की सहमति के आधार पर गठित किया गया है।

संरेखण का विवरण:- इस प्रकार सर्वे आफ इण्डिया के कन्टूर, मानचित्र पर प्रस्तावित समरेखण क्रम: नं. 1 लाल एवं नं. 2 हरे रंग से दर्शाये गये हैं तथा तुलनात्मक विवरण के अनुसार प्रस्तावित संरेखण (1) ही उचित हैं
अतः प्रस्तावित संरेखण नं. 1 संस्तुति सहित अनुमोदन हेतु प्रेषित हैं


कनिष्ठ अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लो. नि. वि.,
ऊखीमठ (रुद्रप्रयाग)


सहायक अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लो. नि. वि.,
ऊखीमठ (रुद्रप्रयाग)


अधिसासी अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लो. नि. वि.,
ऊखीमठ (रुद्रप्रयाग)

तुलनात्मक विवरण

क्र.सं.	मद का नाम	समरेखण (1) लाल रंग में	समरेखण (2) हरा रंग में
1.	मुख्य विशेषताएँ एवं विवरण	यह सरैखण बेडूबगड-जगोट मोटर मार्ग के किमी. 1 है.मी. (4-6) से प्रस्तावित हैं जिसकी लम्बाई 1.30 किमी. हैं स्वीकृत मार्ग के निर्माण हो जाने से उक्त ग्राम राष्ट्रीय राजमार्ग (107) से जुड़ जायेगा।	यह सरैखण बेडूबगड-जगोट मोटर मार्ग के किमी. 4 है.मी. (4-6) से प्रस्तावित हैं
2.	1. प्रस्तावित दृष्टिकोण से समरेखण की लम्बाई 2. वास्तविक दृष्टिकोण से समरेखण की लम्बाई	2.00 किमी. 1.30 किमी.	2.00 किमी. 2.25 किमी. ✓
3.	वर्तमान यातायात के साधन	पैदल मार्ग	पैदल मार्ग
4.	भूमि (अ) सिविल भूमि (ब) कृषि योग्य भूमि 1. सिंचित 2. असिंचित	0.325 किमी. 0.775 किमी. 0.200 किमी.	1.00 किमी. 0.800 किमी. 0.450 किमी.
5.	सूर्य प्रकाशित भूभाग	सम्पूर्ण लम्बाई में	सम्पूर्ण लम्बाई में
6.	भूस्खलन	शून्य	0.05 किमी.
7.	भूमि	मिटटी, पत्थर, चट्टान आदि	मिटटी, पत्थर, कठोर चट्टान आदि
8.	वनस्पति	पैड़ पौधे	पैड़ पौधे
9.	मार्ग का ढाल	4.25 प्रतिशत	5.00 प्रतिशत
10.	अनुप्रस्थ ढाल-1. सामान्य ढाल 2. तीव्र ढाल	1.30कि.मी. शून्य	2.00 कि.मी. 0.250 कि.मी.

1	2	3	4
11.	भू-भाग 1. कठोर चट्टान 2. कोमल चट्टान	शून्य 1.30 कि.मी.	0.250 कि.मी. 2.00 कि.मी.
12.	अस्थिर भूमि की लम्बाई	शून्य	शून्य
13.	साधन 1. लकड़ी 2. पत्थर 3. मजदूर	स्थानीय उपलब्धता स्थानीय उपलब्धता स्थानीय उपलब्धता	स्थानीय उपलब्धता स्थानीय उपलब्धता स्थानीय उपलब्धता
14.	पानी का निकास (अ) छोटे पुल संख्या व विस्तार (अ) बड़े पुल संख्या व विस्तार	शून्य शून्य	शून्य शून्य
15.	वर्षा एवं जलवायु की दशा	मार्ग सर्व ऋतु योग्य रहेगा। ठंडी जलवायु	समरेखण नं. 1 अनुसार
16.	लाभादिन्त ग्रामों की संख्या (अ) प्रत्यक्ष रूप से (ब) अप्रत्यक्ष रूप से	ग्राम का नाम कोड सं. जनसंख्या सौडी 00247800 179 शून्य	समरेखण नं. 1 अनुसार —
17.	वर्तमान मार्ग से प्रस्तावित मार्ग का सम्बन्ध	यह सररेखण बेडूबगड-जगोट मोटर मार्ग के किमी. 1 है.मी. (4-6) से प्रस्तावित हैं जिसकी लम्बाई 1.30 किमी. हैं स्वीकृत मार्ग के निर्माण हो जाने से उक्त ग्राम राष्ट्रीय राजमार्ग (107) से जुड़ जायेगा।	समरेखण नं. 1 अनुसार

Photo Copy Attached

विमान सेवा के लिए

क्र.सं.	मद का नाम	समरेखण (1) लाल रंग में	समरेखण (2) हरा रंग में
1	2	3	4
18.	सामरिक महत्व	राष्ट्रीय राजमार्ग (107) से जुड़ जाने के कारण मार्ग का संचार सम्बन्धी महत्व होगा।	समरेखण नं. 1 अनुसार
19	हेयर पिन बैंड	2 नं.	4 नं.
20	कृषि एवं फल की दृष्टि से महत्व	क्षेत्र की मुख्य पैदावर जैसे आलू,माल्टा, नीबू, नारंगी व, दालो आदि का दुलान स्थानीय बाजार में आसानी से पहुँचने के कारण बाजार की सुविधा मिलेगी।	समरेखण नं. 1 अनुसार
21.	वन सम्पदा का उपयोग	जड़ी बूटी एवं अन्य वन सम्पदा का संरक्षण हो सकेगा।	समरेखण नं. 1 अनुसार
22.	खनिज सम्पदाओं का उपयोग।	खनिज सम्पदाओं का पता लगाने में मदद मिलेगी तथा खनिज का निर्यात होने से क्षेत्रीय जनता को लाभ मिलेगा।	समरेखण नं. 1 अनुसार
23.	लाभ व हानि	1. कठोर चट्टान कम पड़ेगी। 2. ग्राम वासियों के मकानों को कोई क्षति नहीं होगी। 3. तकनीकी दृष्टि से यह संरेखण उपयोगी है। 4. इस संरेखण से ग्रामवासी भी पूर्ण रूप से सहमत है।	1. कठोर चट्टान अधिक पड़ेगी। 2. ग्राम वासियों के मकानों के क्षति होने की सम्भावना है। 3. सिविल वन भूमि व मकानों के ऊपर मलवा आने की सम्भावना के कारण स्थानीय जनता इस संरेखण से सन्तुष्ट नहीं है।

कनिष्ठ अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लो.नि.वि.,
ऊखीमठ (रुद्रप्रयाग)

सहायक अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लो.नि.वि.,
ऊखीमठ (रुद्रप्रयाग)

अधिसासी अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लो.नि.वि.,
ऊखीमठ (रुद्रप्रयाग)

Photo Copy Attached

सारांश

संलग्न तुलनात्मक विवरण से स्पष्ट है कि संरेखण नं. (1) जो कि लाल रंग से दर्शाया गया है, आर्थिक, भौगोलिक एवं तकनीकी रूप से उपयोगी है तथा इस प्रस्तावित संरेखण से ग्राम सौडी की जनता सन्तुष्ट है।

अतः प्रस्तावित समरेखण नं. (1) जो मानचित्र में लाल रंग से दर्शाया गया है, संस्तुति सहित स्वीकृति हेतु प्रेषित है। मार्ग केवल 2.00 किमी. स्वीकृत के सापेक्ष 1.30 लम्बाई में निर्मित होना है, निर्माण कार्य कोमल चट्टान, वनपचायत एवं कृषि भूमि आदि में किया जाना है।

अतः प्रस्तावित समरेखण नं. 1 जो कि लाल रंग से अंकित है, अनुमोदन करने की कृपा करें।


कनिष्ठा अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लो.नि.वि.,
ऊखीमठ (रुद्रप्रयाग)


सहायक अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लो.नि.वि.,
ऊखीमठ (रुद्रप्रयाग)


अधिष्ठाता अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लो.नि.वि.,
ऊखीमठ (रुद्रप्रयाग)

Photo Copy Attached

शहनाहक अभियन्ता
निर्माण खण्ड लो.नि.वि.
ऊखीमठ (रुद्रप्रयाग)

प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त सभी वैकल्पिक समरंखण को कार्य स्थल पर मेरे द्वारा दर्शायी गयी तिथि को निरीक्षण के समय देख लिया गया है। तथा प्रस्तावित समरंखण कार्य स्थल की तकनीकी दृष्टि से उचित है।

1. कनिष्ठ अभियन्ता द्वारा निरीक्षण की तिथि 09-12-2016
2. सहायक अभियन्ता द्वारा निरीक्षण की तिथि 09-12-2016
3. अधिशासी अभियन्ता द्वारा निरीक्षण की तिथि 09/12/2016


कनिष्ठ अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लो. नि. वि.,
ऊखीमठ (रुद्रप्रयाग)


सहायक अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लो. नि. वि.,
ऊखीमठ (रुद्रप्रयाग)


अधिवासी अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लो. नि. वि.,
ऊखीमठ (रुद्रप्रयाग)

Photo Copy Attached

निर्माण खण्ड लो. नि. वि.
रुद्रप्रयाग

प्रपत्र-11

परियोजना का नाम:- मा० मुख्यमंत्री जी की घोषणा संख्या-553/2015 के अन्तर्गत जनपद-रुद्रप्रयाग के विधानसभा क्षेत्र-केदारनाथ के विकासखण्ड, अगस्त्यमुनि में बेडूबगड़-जगोठ मोटर मार्ग से सौड़ी गाँव तक मोटर मार्ग के नव निर्माण हेतु वन भूमि का लो०नि०वि० को हस्तान्तरण।

वनभूमि की माँग का औचित्य का प्रमाण - पत्र

जनपद-रुद्रप्रयाग के विधान सभा क्षेत्र केदारनाथ के विकासखण्ड अगस्त्यमुनि में ग्राम-सौड़ी (कुल आबादी 179) वर्तमान में मोटर मार्ग से वंचित होने के कारण स्थानीय जनता को मूलभूत सुविधाओं जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य, के लिये पैदल चलकर अगस्त्यमुनि आना पड़ता है। प्रस्तावित मोटर मार्ग बेडूबगड़-जगोठ मोटर मार्ग के कि०मी० 1.00 है०मी० (4-6) से प्रारम्भ होता है। जो 2 कि०मी० लम्बाई में स्वीकृत है। उक्त मोटर मार्ग के निर्माण से सौड़ी गाँव के स्थानीय जनता का सम्पर्क तहसील मुख्यालय, ब्लाक तथा चिकित्सालय से स्थापित हो जायेगा।

अतः ली गयी 0.615 है० वनभूमि न्यूनतम है। समीक्षण का चयन करते समय इस बात का विशेष ध्यान रखा गया है कि प्रस्तावित मोटर मार्ग के निर्माण से कम से कम वनभूमि प्रभावित हो तथा न्यूनतम वृक्षों का पातन हो।


अमीन
निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग
ऊखीमठ (रुद्रप्रयाग)


कनिष्ठ अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग
ऊखीमठ (रुद्रप्रयाग)


सहायक अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लोक निर्माण
विभाग ऊखीमठ (रुद्रप्रयाग)


अधिशसी अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग
ऊखीमठ (रुद्रप्रयाग)

प्रपत्र-13

परियोजना का नाम:- मा० मुख्यमंत्री जी की घोषणा संख्या-553/2015 के अन्तर्गत जनपद-रुद्रप्रयाग के विधानसभा क्षेत्र-केदारनाथ के विकासखण्ड, अगस्त्यमुनि में बेडूबगड़-जगोठ मोटर मार्ग से सौड़ी गाँव तक मोटर मार्ग के नव निर्माण हेतु वन भूमि का लो०नि०वि० को हस्तान्तरण।

वैकल्पिक संमरेश्वणों को निरस्त किये जाने का प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि प्रस्तावित परियोजना हेतु विभिन्न उपलब्ध विकल्पों पर विचार किया गया व वर्तमान विकल्प को सर्वदा उपयुक्त पाया गया।


कमिष्ठ अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग
ऊखीमठ (रुद्रप्रयाग)


महायक अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग
ऊखीमठ (रुद्रप्रयाग)


अधिशारी अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग
ऊखीमठ (रुद्रप्रयाग)


उप वन संरक्षक
रुद्रप्रयाग वन विभाग
ऊखीमठ


उप वन संरक्षक
प्रमाणित वन अधिकारी
रुद्रप्रयाग वन विभाग
ऊखीमठ

परियोजना का नाम:- मा० मुख्यमंत्री जी की घोषणा संख्या-553/2015 के अन्तर्गत जनपद-रूद्रप्रयाग के विधानसभा क्षेत्र-केदारनाथ के विकासखण्ड, अगस्त्यमुनि में बेडूबगड़-जगोठ मोटर मार्ग से सौड़ी गाँव तक मोटर मार्ग के नव निर्माण हेतु वन भूमि का लो०नि०वि० को हस्तान्तरण।

विभिन्न विकल्पों का तुलनात्मक विवरण उसके निरस्त किये जाने का कारण का प्रमाण पत्र

संरेखण नम्बर	प्रभावित वन भूमि (है.में)	प्रभावित वृक्षा की संख्या	मार्ग की लम्बाई (कि.मी. में)	अन्य कारण (एच.पी.बैण्ड व अन्य भू-गर्भीय कारण)
संरेखण-1	0.615	81	1.30	-
संरेखण-2	0.700	90	2.00	अधिक वृक्षों का पातन व वनभूमि प्रभावित हो रही है।

उक्त दोनों समरेखणों में से समरेखण न० 1 (एक) उपयुक्त है।


कलिष्ठ अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग
ऊखीमठ (रूद्रप्रयाग)


सहायक अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग
ऊखीमठ (रूद्रप्रयाग)


अधिष्ठासी अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग
ऊखीमठ (रूद्रप्रयाग)

प्रपत्र-14

परियोजना का नाम:- मा० मुख्यमंत्री जी की घोषणा संख्या-553/2015 के अन्तर्गत जनपद-रुद्रप्रयाग के विधानसभा क्षेत्र-केदारनाथ के विकासखण्ड, अगस्त्यमुनि में बेडूबगड़-जगोठ मोटर मार्ग से सौड़ी गाँव तक मोटर मार्ग के नव निर्माण हेतु वन भूमि का लो०नि०वि० को हस्तान्तरण।

वैकल्पिक भूमि उपलब्ध न होने व वन भूमि की मांग न्यूनतम होने का प्रमाण-पत्र

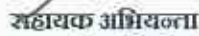
प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त परियोजन हेतु आवेदित राज्यवनभूमि के अतिरिक्त अन्य कोई वैकल्पिक भूमि उपलब्ध नहीं है व चयनित भूमि पर ही परियोजना का निर्माण किया जा सकता है। आवेदित 0.615 है. राज्य भूमि की मांग न्यूनतम है व इससे कम वन भूमि पर परियोजना का निर्माण कार्य किया जाता सम्भव नहीं है।



अमीन
निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग
ऊखीमठ (रुद्रप्रयाग)



कनिष्ठ अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग
ऊखीमठ (रुद्रप्रयाग)



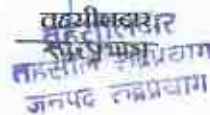
सहायक अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग
ऊखीमठ (रुद्रप्रयाग)



अधिशासी अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग
ऊखीमठ (रुद्रप्रयाग)



राज्य उप निरीक्षक



उप निरीक्षक
लोक निर्माण विभाग
जनपद रुद्रप्रयाग



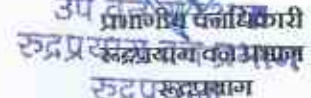
उप निरीक्षक,
रुद्रप्रयाग



उप निरीक्षक
अगस्त्यमुनि



उप निरीक्षक
लोक निर्माण विभाग
जनपद रुद्रप्रयाग



उप निरीक्षक
लोक निर्माण विभाग
रुद्रप्रयाग



निरीक्षक
रुद्रप्रयाग

प्रपत्र-15

परियोजना का नाम:- मा० मुख्यमंत्री जी की घोषणा संख्या-553/2015 के अन्तर्गत जनपद-
रुद्रप्रयाग के विधानसभा क्षेत्र-केदारनाथ के विकासखण्ड,
अगस्त्यमुनि में बेडूबगड़-जगोठ मोटर मार्ग से सौड़ी गाँव तक मोटर
मार्ग के नव निर्माण हेतु वन भूमि का लो०नि०वि० को हस्तान्तरण।

लैण्ड शैड्यूल
(संरक्षित / आरक्षित वन भूमि)

जिला	वन प्रभाग का नाम	वन राजि का नाम	वन ब्लाक का नाम	वन भूमि में परियोजना की लम्बाई (मीटर में)	चौड़ाई (मीटर में)	क्षेत्रफल (है.)
			शून्य			



अमीन
निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग
ऊखीमठ (रुद्रप्रयाग)



क. स. शर्मा
निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग
ऊखीमठ (रुद्रप्रयाग)



क. स. शर्मा
निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग
ऊखीमठ (रुद्रप्रयाग)



क. स. शर्मा
निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग
ऊखीमठ (रुद्रप्रयाग)



वन क्षेत्राधिकारी
अगस्त्यमुनि

ऊखीमठ (रुद्रप्रयाग)



रुद्रप्रयाग संरक्षित
प्रमाणित वन प्रभाग
रुद्रप्रयाग

प्रपत्र-15.1

परियोजना का नाम:- मा० मुख्यमंत्री जी की घोषणा संख्या-553/2015 के अन्तर्गत जनपद-रुद्रप्रयाग के विधानसभा क्षेत्र-केदारनाथ के विकासखण्ड, अगस्त्यगुनि में बेडूबगड़-जगोठ मोटर मार्ग से सौड़ी गाँव तक मोटर मार्ग के नव निर्माण हेतु वन भूमि का लो०नि०वि० को हस्तान्तरण।

लैंड शैड्यूल

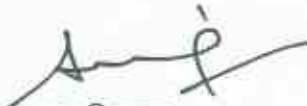
भूमि की श्रेणी:-

जिला	तहसील	ब्लाक	खसरा संख्या	कुल रकबा हे	वन भूमि में परियोजना की लम्बाई(मीटर में)	चौड़ाई (मीटर में)	आवेदित क्षेत्रफल (हे.)
रुद्रप्रयाग	ऊखीमठ रुद्रप्रयाग	अगस्त्यगुनि	519	1.406 प्रहरे 0.615 हे०	600	7	0.420 मोटर मार्ग निर्माण हेतु + 0.195 मकड़िपगं हेतु = 0.615


अमीन

निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग
ऊखीमठ (रुद्रप्रयाग)


कनिष्ठ अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग
ऊखीमठ (रुद्रप्रयाग)


सहायक अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग
ऊखीमठ (रुद्रप्रयाग)


अधिसारी अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग
ऊखीमठ (रुद्रप्रयाग)


राजस्व उप निरीक्षक


तहसीलदार
रुद्रप्रयाग


उप निरीक्षक
रुद्रप्रयाग


जिलाधिकारी
रुद्रप्रयाग

प्रपत्र-16

परियोजना का नाम:- मा० मुख्यमंत्री जी की घोषणा संख्या-553/2015 के अन्तर्गत जनपद-रुद्रप्रयाग के विधानसभा क्षेत्र-केदारनाथ के विकासखण्ड, अगस्त्यमुनि में बेडूबगड़-जगोठ मोटर मार्ग से सौड़ी गाँव तक मोटर मार्ग के नव निर्माण हेतु वन भूमि का लो०नि०वि० को हस्तान्तरण।

परियोजना की लम्बाई चौड़ाई का विवरण।

क्र०सं०	भूमि की श्रेणी	लम्बाई (मी० में)	चौड़ाई (मी० में)	कुल क्षेत्रफल (है० में)
1	आरक्षित वन भूमि	शून्य	शून्य	शून्य
2	राज्य भूमि (I) मोटर मार्ग निर्माण हेतु (II)मक इम्पिंग हेतु	600	7	0.420 → 0.195
3	वन पंचायत भूमि	शून्य	शून्य	शून्य
	वनभूमि का योग:-	600	-	0.615
4	नाप भूमि	700	9	0.630
	कुल योग:-	1300	-	1.245


कनिष्ठ अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग
ऊखीमठ (रुद्रप्रयाग)

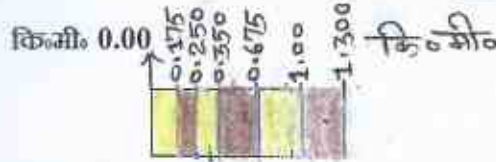

सुपरवाइजर अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग
ऊखीमठ (रुद्रप्रयाग)


अधिसूचि अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग
ऊखीमठ (रुद्रप्रयाग)

प्रपत्र-17

परियोजना का नाम:- मा० मुख्यमंत्री जी की घोषणा संख्या-553/2015 के अन्तर्गत जनपद-रुद्रप्रयाग के विधानसभा क्षेत्र-केदारनाथ के विकासखण्ड, अगस्त्यमुनि में बेडूबगड़-जगोठ मोटर मार्ग से सौड़ी गाँव तक मोटर मार्ग के नव निर्माण हेतु वन भूमि का लो०नि०वि० को हस्तान्तरण।

बारचार्ट का प्रारूप



संकेत तालिका

भूमि की श्रेणी	रंग	क्षेत्रफल (है० में)
आरक्षित वनभूमि	शून्य	शून्य
राज्य भूमि	Yellow	0.420 मोटर मार्ग निर्माण हेतु + 0.195 मक डिस्पोजल हेतु = 0.615
पंचायती वनभूमि	शून्य	शून्य
नाप भूमि	Red	0.630


अमीन
निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग
ऊखीमठ (रुद्रप्रयाग)


कनिष्ठ अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग
ऊखीमठ (रुद्रप्रयाग)


सहायक अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग
ऊखीमठ (रुद्रप्रयाग)


अधिशारी अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग
ऊखीमठ (रुद्रप्रयाग)

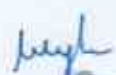

राजस्व उप निरीक्षक
ऊखीमठ (रुद्रप्रयाग)


तहसीलदार
ऊखीमठ (रुद्रप्रयाग)
जनपद रुद्रप्रयाग


उपनिर्वाहिकारी,
रुद्रप्रयाग


वनक्षेत्राधिकारी
अगस्त्यमुनि


प्रभारित वनक्षेत्राधिकारी
रुद्रप्रयाग जनपद रुद्रप्रयाग


विलासिकारी
रुद्रप्रयाग

प्रपत्र-18कार्य प्रारम्भ न होने का प्रमाण-पत्र

परियोजना का नाम:- मा० मुख्यमंत्री जी की घोषणा संख्या-553/2015 के अन्तर्गत जनपद-रुद्रप्रयाग के विधानसभा क्षेत्र-केदारनाथ के विकासखण्ड, अगस्त्यमुनि में बेडूवगड़-जगोठ मोटर मार्ग से सौड़ी गाँव तक मोटर मार्ग के नव निर्माण हेतु वन भूमि का लो०नि०वि० को हस्तान्तरण।

प्रमाणित किया जाता है कि प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा आवेदित वन भूमि पर अभी तक कोई निर्माण कार्य प्रारम्भ नहीं किया गया है। भारत सरकार से वन संरक्षण अधिनियम 1980 के अन्तर्गत स्वीकृति होने के उपरान्त ही निरमाण कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।


कनिष्ठ अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग
ऊखीमठ (रुद्रप्रयाग)


महायक अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग
ऊखीमठ (रुद्रप्रयाग)


अधिशासी अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग
ऊखीमठ (रुद्रप्रयाग)


वन संरक्षक
अगस्त्यमुनि


प्रमाणित किया जाता है कि प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा आवेदित वन भूमि पर अभी तक कोई निर्माण कार्य प्रारम्भ नहीं किया गया है। भारत सरकार से वन संरक्षण अधिनियम 1980 के अन्तर्गत स्वीकृति होने के उपरान्त ही निरमाण कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।


प्रमाणित किया जाता है कि प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा आवेदित वन भूमि पर अभी तक कोई निर्माण कार्य प्रारम्भ नहीं किया गया है। भारत सरकार से वन संरक्षण अधिनियम 1980 के अन्तर्गत स्वीकृति होने के उपरान्त ही निरमाण कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।

कार्यालय वन क्षेत्राधिकारी अगस्त्यमुनि वन क्षेत्र अगस्त्यमुनि

पत्रांक 858 / 12-1 दिनांक 1 / 4 / 2017

वन वन संरक्षक

रुद्रप्रयाग वन प्रभाग रुद्रप्रयाग

सवि - उचित माध्यम।

विषय - माननीय मुख्यमंत्री जी की घोषणा सं० 553/2015 के अन्तर्गत जनपद रुद्रप्रयाग के विधान सभा क्षेत्र केदारनाथ के विकासखण्ड अगस्त्यमुनि में बेडूबगड़ मोटर मार्ग से सोड़ी गांव तक मोटर मार्ग के नव निर्माण हेतु संयुक्त निरीक्षण किये जाने के सम्बन्ध में।

सन्दर्भ - आपका पत्र सं० 1747/12-1 दिनांक 22-02-2017।

संदर्भ

उपरोक्त सन्दर्भित विषयक पत्र के क्रम में निवेदन करना है कि इस राजि क्षेत्रान्तर्गत विषयगत प्रकरण का संयुक्त निरीक्षण निर्धारित तिथि 01-03-2017 को श्री लक्ष्मण सिंह राणा वन दरोगा अगस्त्यमुनि अनुभाग के द्वारा श्री प्रदीप सेमवाल जनिष्ठ अभियन्ता लोक निर्माण विभाग ऊखीमठ, श्री विष्णुदत्त नौटियाल अमीन लो०नि०वि० एवं श्री मनवर सिंह रावत कार्य अधिकर्ता को साथ में लेकर किया गया। उक्त वन दरोगा द्वारा सम्बन्धित भूमि पर आने वाले 81 वृक्षों की गणना सूचना निम्न प्रकार से प्रेषित की गयी है-

क्र.सं.	क्षेत्र का नाम	प्रजाति का नाम	व्यास वर्ग सेमी में										Total
			0-10	10-20	20-30	30-40	40-50	50-60	60-70	70-80	80-90	90 Over	
1	बेडूबगड़ से सोड़ी गांव तक	हरीज	2	-	-	1	-	-	1	-	-	-	04
2		चीड़	-	10	2	8	2	4	-	-	-	-	26
3		मय्या	2	6	1	-	1	-	-	-	-	-	10
4		कुकाट	-	5	-	-	-	-	-	-	-	-	05
5		आंवला	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	01
6		सांघन	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	02
7		खैर	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	01
8		सिरस	-	3	1	2	1	-	1	1	-	-	09
9		कचनार	-	2	2	-	-	-	-	-	-	-	04
10		मेहल	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	03
11		भीमल	-	7	1	-	-	-	-	-	-	-	08
12		तुन	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	01
13		खड़ीक	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	01
14		सेमल	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	02
15		तिमला	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	01
16		अशीन	-	-	1	-	2	-	-	-	-	-	03
	योग	-	05	42	09	11	07	04	02	01	0	0	81

कुल इक्कासी वृक्ष।

अतः सूचना वन दरोगा की गणना सूची सहित महोदय की सेवा में आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

सलोक- उपरोक्तानुसार 02।

वन क्षेत्राधिकारी
अगस्त्यमुनि रज अगस्त्यमुनि

प्रपत्र-19

परियोजना का नाम:- मा0 मुख्यमंत्री जी की घोषणा संख्या-553/2015 के अन्तर्गत जनपद-रूद्रप्रयाग के विधानसभा क्षेत्र- केदारनाथ के विकासखण्ड, अगस्त्यमुनि में बेडूवगड़-जगोठ मोटर मार्ग से सौड़ी गाँव तक मोटर मार्ग के नव निर्माण हेतु वन भूमि का लो0नि0वि0 को हस्तान्तरण।

प्रश्नगत परियोजना के निर्माण हेतु दिनांक 7/06/2016 को किये गये संयुक्त निरीक्षण के अनुसार सिविल एवं सोयम भूमि पर प्रभावित होने वाले वृक्षों की गणना की गई व निरीक्षण के दौरान प्रभावित होने वाले वृक्षों की निम्नानुसार गणना की गयी।:-

परियोजना के निर्माण में प्रभावित होने वाले वृक्षों का सारांश।

क्र.सं.	क्षेत्र का नाम	प्रजाति	व्यास वर्ग										योग
			0-10	10-20	20-30	30-40	40-50	50-60	60-70	70-80	80-90	90 से अधिक	
1	सिविल सौड़ी	हरीज	2	0	0	1	0	0	1	0	0	0	4
2		चाड़	0	10	2	8	2	4	0	0	0	0	26
3		गुल्मी	2	6	1	0	1	0	0	0	0	0	10
4		कुकाट	0	5	0	0	0	0	0	0	0	0	5
5		आवेल	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1
6		सापन	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	2
7		खण्डा	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1
8		सिरस	0	3	1	2	1	0	1	1	0	0	9
9		कदमर	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	4
10		गहुल	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	3
11		शामल	0	7	1	0	0	0	0	0	0	0	8
12		तुल	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1
13		खड़क	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1
14		समल	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	2
15		तिमला	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1
16		अशोक	0	0	1	0	2	0	0	0	0	0	3
	योग:-		5	42	9	11	7	4	2	1	0	0	81

राजस्व उप निरीक्षक

तहसीलदार
रूप प्रयाग
कैलाश नंदप्रयाग
केदारनाथ

उप निरीक्षक
रूप प्रयाग

उप निरीक्षक
अगस्त्यमुनि

उप निरीक्षक
रूप प्रयाग
कैलाश नंदप्रयाग
केदारनाथ

उप निरीक्षक
रूप प्रयाग
कैलाश नंदप्रयाग
केदारनाथ

प्रपत्र-20.1

परियोजना का नाम:-

मा10 मुख्यमंत्री जी की घोषणा संख्या-553/2015 के अन्तर्गत जनपद-रूद्रप्रयाग के विधानसभा क्षेत्र-कैदारनाथ के विकासखण्ड, अगस्त्यमुनि में बेडूबगड़-जगोठ मोटर मार्ग से सौड़ी गाँव तक मोटर मार्ग के नव निर्माण हेतु वन भूमि का 100नि0वि0 को हस्तान्तरण।

परियोजना के निर्माण में प्रभावित होने वाले वृक्षों का सारांश

क्र.सं.	भूमि का प्रकार	व्यास वर्ग										योग
		0-10	10-20	20-30	30-40	40-50	50-60	60-70	70-80	80-90	90 से अधिक	
1	आरक्षित वन भूमि	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
2	सिविल सोयम	5	42	9	11	7	4	2	1	0	0	81
3	वन पंचायत	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	योग	5	42	9	11	7	4	2	1	0	0	81
4	नाप भूमि	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	कुल योग	5	42	9	11	7	4	2	1	0	0	81

अगस्त्यमुनि

रूद्रप्रयाग जनपद
वन विभाग
रूद्रप्रयाग

वृक्षों की मूल्य सूची

सिमेंट का नाम: मा० मुख्यमंत्री जी की घोषणा संख्या-553/2015 के अन्तर्गत जनपद-रूद्रप्रयाग के विधानसभा क्षेत्र-केदारनाथ के विकासखण्ड, अगस्त्यमुनि में बेडूबगड़-जगोठ मोटर मार्ग से सौड़ी गाँव तक मोटर मार्ग के नव निर्माण हेतु वन भूमि का लो०मि०वि० को

क्र.सं.	वृक्षों का नाम	वृक्षों की प्रजाति	वृक्षों का वानस्पतिक नाम	वृक्षों की संख्या	व्यास से०मी० में	दर प्रति पेड़	कुल धनराशि	टिप्पणी
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1		हरियज	Quercus leucotrichophora	2	0-10	56.00	112.00	
				1	30-40	545.00	545.00	
				1	60-70	2899.00	2899.00	
2		पीड़	Pinus roxburgii	10	10-20	270.00	2700.00	
				2	20-30	674.00	1348.00	
				8	30-40	2618.00	20944.00	
				2	40-50	5697.00	11394.00	
				4	50-60	9624.00	38496.00	
3		गव्या	Andromeda	2	0-10	56.00	112.00	
				6	10-20	90.00	540.00	
				1	20-30	180.00	180.00	
				1	40-50	708.00	708.00	
4		कुकाट	Andromeda	5	10-20	90.00	450.00	
5		आवला		1	10-20	350.00	350.00	
6		संघल	Andromeda	1	0-10	56.00	56.00	
				1	20-30	180.00	180.00	
7		खैणा	Andromeda	1	10-20	90.00	90.00	
		शिरस	Andromeda	3	10-20	90.00	270.00	
				1	20-30	180.00	180.00	
				2	30-40	438.00	876.00	
				1	40-50	708.00	708.00	
				1	60-70	1146.00	1146.00	
				1	70-80	1382.00	1382.00	
9		कचनार	Andromeda	2	10-20	90.00	180.00	
				2	20-30	180.00	360.00	
10		मेढल	Andromeda	3	10-20	90.00	270.00	
11		भीमल	Andromeda	7	10-20	90.00	630.00	
				1	20-30	180.00	180.00	
12		तुल	Cedrela toona	1	10-20	213.00	213.00	
13		खड़ीक	Andromeda	1	10-20	90.00	90.00	
14		सेमल	Andromeda	1	10-20	90.00	90.00	
				1	40-50	708.00	708.00	
15		तिमला	Andromeda	1	10-20	90.00	90.00	
16		असीन	Andromeda	1	20-30	180.00	180.00	
				2	40-50	708.00	1416.00	
योग				81			90073.00	

वन भूमि अधिकारी
अगस्त्यमुनि रज
रूद्रप्रयाग

सहायक वन अधिकारी
रूद्रप्रयाग जनपद प्रभाग
रूद्रप्रयाग

परियोजना का नाम:- मा० मुख्यमंत्री जी की घोषणा संख्या-553/2015 के अन्तर्गत जनपद-रूद्रप्रयाग के विधानसभा क्षेत्र-केदारनाथ के विकासखण्ड, अगरतयमुनि में बेडूबगड़-जगोठ मोटर मार्ग से सौड़ी गाँव तक मोटर मार्ग के नव निर्माण हेतु वन भूमि का लो०नि०वि० को हस्तान्तरण।

परियोजना से प्रभावित होने वाले वृक्षों की मूल्य सूची

प्रमाणित किया जाता है कि विषयगत परियोजना के अन्तर्गत काटे जाने वाले पेड़ों का कुल मूल्य रु० 90073.00 आंकलित किया जाता है।


जनपद अधिकारी
अगरतयमुनि




उप वन अधिकारी
प्रभागीय वन अधिकारी
रूद्रप्रयाग वन प्रभाग
रूद्रप्रयाग

प्रपत्र - 21

परियोजना का नाम:- मा० मुख्यमंत्री जी की घोषणा संख्या-553/2015 के अन्तर्गत जनपद-
रुद्रप्रयाग के विधानसभा क्षेत्र-केदारनाथ के विकासखण्ड, अगस्त्यमुनि
में बेडूवगड़-जगोठ मोटर मार्ग से सौड़ी गाँव तक मोटर मार्ग के नव
निर्माण हेतु वन भूमि का लो०नि०वि० को हस्तान्तरण।

परियोजना क्षेत्र में विद्यमान वृक्षों में से वास्तविक रूप से काटे जाने वाले वृक्षों का विवरण

प्रमाणित किया जाता है कि परियोजना निर्माण से प्रभावित होने वाले 81 वृक्षों का
पातन किया जाना है।



कलिष्ठ अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग
ऊखीमठ (रुद्रप्रयाग)



सहायक अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग
ऊखीमठ (रुद्रप्रयाग)



अधिसारी अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग
ऊखीमठ (रुद्रप्रयाग)



वनक्षेत्राधिकारी
वन क्षेत्राधिकारी
अगस्त्यमुनि



उप क्षेत्राधिकारी
प्रमाणित वनक्षेत्राधिकारी
रुद्रप्रयाग विकासखण्ड
रुद्रप्रयाग

प्रपत्र-22

परियोजना का नाम:- मा० मुख्यमंत्री जी की घोषणा संख्या-553/2015 के अन्तर्गत जनपद-रूद्रप्रयाग के विधानसभा क्षेत्र-केदारनाथ के विकासखण्ड, अगस्त्यगुनि में बेड़बगड़-जगोठ मोटर मार्ग से सौड़ी गाँव तक मोटर मार्ग के नव निर्माण हेतु वन भूमि का लो०नि०वि० को हस्तान्तरण।

बांज वृक्षों के पातन का प्रमाण-पत्र

प्रस्तुत परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वनभूमि के गैर वानिकी कार्यों हेतु प्रत्यावर्तन के लिये मेरे द्वारा दि० _____ को स्थलीय निरीक्षण किया गया स्थलीय निरीक्षण के दौरान परियोजना के निर्माण से प्रभावित होने वाले बांज वृक्षों की निम्नानुसार गणना की गई।

क्र.सं.	वन क्षेत्र का नाम	प्रजाति	व्यास वर्ग									योग
			10-20	20-30	30-40	40-50	50-60	60-70	70-80	80-90	90 से अधिक	
	←					शून्य					→	

वन संरक्षक

प्रपत्र-23

परियोजना का नाम:- मा० मुख्यमंत्री जी की घोषणा संख्या-553/2015 के अन्तर्गत जनपद-रूद्रप्रयाग के विधानसभा क्षेत्र-केदारनाथ के विकासखण्ड, अगस्त्यमुनि में वेड़बगड़-जगोठ मोटर मार्ग से सौड़ी गाँव तक मोटर मार्ग के नव निर्माण हेतु वन भूमि का लो०नि०वि० को हस्तान्तरण।

प्रस्तावित परियोजना मे वृक्ष प्रभावित न होने की दशा मे प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा प्रदत्त प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि प्रस्तावित परियोजना के निर्माण से आवेदित भूमि पर वृक्ष प्रभावित हो रहे हैं।


वनक्षेत्राधिकारी
अगस्त्यमुनि




प्रभागीय वनाधिकारी
रूद्रप्रयाग वनप्रभाग
रूद्रप्रयाग

प्रपत्र-24

परियोजना का नाम:- मा० मुख्यमंत्री जी की घोषणा संख्या-553/2015 के अन्तर्गत जनपद-रुद्रप्रयाग के विधानसभा क्षेत्र-केदारनाथ के विकासखण्ड, अगस्त्यमुनि में बेडूबगड़-जगोठ मोटर मार्ग से सौड़ी गाँव तक मोटर मार्ग के नव निर्माण हेतु वन भूमि का लो०नि०वि० को हस्तान्तरण।

न्यूनतम वृक्षों के पातन किये जाने का प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि उक्त परियोजना के निर्माण हेतु प्रभावित होने वाले वृक्षों की संख्या न्यूनतम है व भारत सरकार से परियोजना के निर्माण की स्वीकृति प्राप्त होने के उपरान्त आवश्यक न्यूनतम वृक्षों का ही पातन किया जायेगा।



कनिष्ठ अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग
ऊखीमठ (रुद्रप्रयाग)



सहायक अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग
ऊखीमठ (रुद्रप्रयाग)



अतिशायी अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग
ऊखीमठ (रुद्रप्रयाग)



वनक्षेत्राधिकारी
वन क्षेत्राधिकारी
अगस्त्यमुनि



प्रमाणित अभियन्ता
रुद्रप्रयाग वन प्रभाग
रुद्रप्रयाग

प्रपत्र-25

परियोजना का नाम:- मा० मुख्यमंत्री जी की घोषणा संख्या-553/2015 के अन्तर्गत जनपद-
रूद्रप्रयाग के विधानसभा क्षेत्र-केदारनाथ के विकासखण्ड, अगस्त्यमुनि
में बेडूबगड़-जगोठ मोटर मार्ग से सौड़ी गाँव तक मोटर मार्ग के नव
निर्माण हेतु वन भूमि का लो०नि०वि० को हस्तान्तरण।

राष्ट्रीय पार्क/ वन्यजीव अभ्यारण से दूरी व प्रस्तावित स्थल की हवाई दूरी का प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि प्रश्नगत परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वनभूमि क्षेत्र की
समीपस्थ राष्ट्रीय पार्क/ वन्य जीव अभ्यारण की सीमा से दूरी 12.00 कि०मी० है।

वनक्षेत्राधिकारी
क्षेत्राधिकारी
अगस्त्यमुनि

उप- नि. प्रमाणित
रूद्रप्रयाग जनपद

प्रमाणित वनक्षेत्राधिकारी
रूद्रप्रयाग जनपद
अगस्त्यमुनि

परियोजना का नाम:- मा० मुख्यमंत्री जी की घोषणा संख्या-553/2015 के अन्तर्गत जनपद-रुद्रप्रयाग के विधानसभा क्षेत्र-केदारनाथ के विकासखण्ड, अगस्त्यमुनि में वेडूबगड़-जगोठ मोटर मार्ग से सौड़ी गाँव तक मोटर मार्ग के नव निर्माण हेतु वन भूमि का लो०नि०वि० को हस्तान्तरण।

परियोजना स्थल किसी राष्ट्रीय पार्क/ वन्यजीव अभ्यारण का हिस्सा न होने का प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि प्रश्नगत परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वनभूमि किसी राष्ट्रीय पार्क/ वन्य जीव अभ्यारण का हिस्सा नहीं है।

वनक्षेत्राधिकारी
अगस्त्यमुनि

परिपालक वन अधिकारी
रुद्रप्रयाग वन प्रभाग
रुद्रप्रयाग

सा. नि. संरक्षक
प्रमाणित वनक्षेत्राधिकारी
रुद्रप्रयाग वन प्रभाग
रुद्रप्रयाग

प्रपत्र-26

परियोजना का नाम:- मा० मुख्यमंत्री जी की घोषणा संख्या-553/2015 के अन्तर्गत जनपद-
रूद्रप्रयाग के विधानसभा क्षेत्र-केदारनाथ के विकासखण्ड, अगस्त्यमुनि
में बेडूबगड़-जगोठ मोटर मार्ग से सौड़ी गाँव तक मोटर मार्ग के नव
निर्माण हेतु वन भूमि का लो०नि०वि० को हस्तान्तरण।

मुख्यजीव प्रतिपालक उत्तराखण्ड का अनापत्ति प्रमाण पत्र

मुख्यजीव प्रतिपालक
उत्तराखण्ड



श्रीमान अधिशासी महोदय

सहायक अभियन्ता महोदय,
निर्माण खण्ड लो० वि०
ऊखीमठ जनपद-रुद्रप्रयाग।

नगर पंचायत अगस्त्यमुनि के वार्ड नां०-2 सौड़ी, अमोटा में मोटर मार्ग के सम्बन्ध में प्रार्थना पत्र।

आपको अवगत कराना है कि आपने वर्ष 2015 में अगस्त्यमुनि-डोभा गणेशनगर मार्ग के 4 किमी० की सर्वे की है जो कि वन भूमि वन पंचायत रुमसी की है। जबकि इसकी 1 किमी० के ई.18 से होनी थी, जिसमें 500 मी० भूमि केशरहीन है, और आगे नाप भूमि आ व काश्तकार भूमि देने के लिए तैयार है। कृपया आप अपनी सर्वे टीम को माह सितम्बर/अक्टूबर में की कृपा कीजिएगा।

अतः महोदय से निवेदन है कि अगस्त्यमुनि-डोभा गणेशनगर मार्ग के 1 किमी० सर्वे की कृपा कीजिएगा।

समस्त सौड़ी ग्रामवासी आपके आभारी रहेंगे।

भवदीय

नगर पंचायत अगस्त्यमुनि
वार्ड नां०-02

अध्यक्ष नगर पंचायत अगस्त्यमुनि।
आपको ले 553/2015
केन्द्र-जगौठ मोबाइल नं० 98989 80000 (2km-इलाहाबाद)

14/11/16

Handwritten signature and initials.

Copy of Board's letter to N.A. as soon as possible. Case related to

Photo Copy Attached

for your personal attention as

सहायक अभियन्ता
निर्माण खण्ड लो० वि०
ऊखीमठ (रुद्रप्रयाग)

Handwritten signature and initials.

प्रपत्र-30

FORM-1

(for linear projects)

Government of Uttarakhand,

Office of the District Collector, Rudraprayag.

No.....

Dated 28-12-20

TO WHOMSOEVER IT MAY CONCERN

In compliance of the Ministry of Environment and Forests (MOEF), Government of India's letter No 11-9/98-FC(pt) dated 3rd August 2009 wherein the MoEF issued guidelines on submission of evidences for having initiated and completed the process of settlement of rights under the Scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act, 2006 ('FRA', for short) on the forest land proposed to be diverted for non-forest purposes read with MoEF's letter dated 5th February 2013 wherein MoEF issued certain

relaxation in respect of linear projects, it is certified that **0.615** hectares of forest land proposed to be diverted in favour of **Construction Division, PWD, Ukhimath** (name of user agency) for **Construction of Bedubagar-jagoth motor road to sauri village motor road** (purpose for diversion of forest land) in **Rudraprayag** district falls within jurisdiction of **sauri** villages in **Ukhimath** tehsil.

It is further certified that:

- The complete process for identification and settlement of rights under the FRA has been carried out for the entire **0.615** hectares of forest area proposed for diversion. A copy of records of all consultations and meetings of the Forest Rights committee(s), Gram Sabha(s) sub- Division level Committee(s) and the District Level Committee are enclosed as annexure 30.2, 30.3 and annexure 30.4
- The diversion of forest land for facilities managed by the Government as required under section 3 (2) of the FRA have been completed and the Grama Sabhas have given their consent to it;
- The proposal does not involve recognised rights of Primitive Tribal Groups and Pre-agricultural communities.

Encl: As above.

Signature


District Magistrate
Rudraprayag, Uttarakhand.

प्रपत्र-30.1

Annexure -

OFFICE OF THE DISTRICT COLLECTOR,
RUDRAPRAYAG, UTTARAKHAND.**Proceeding of the meeting of the district level committee constituted under schedule tribes & other Traditional forest Dwellers (recognition of rights) act (FRA). 2006.**

A meeting of the district level committee of Rudraprayag district, constituted under FRA 2006 was held under the chairmanship of Mr./Mrs. Dr. Mangesh Ghidyal I.A.S. District Magistrate, Rudraprayag District, on the date 28-12-2017 at time 4:00 PM in Rudraprayag in which application claiming rights in Forest area measuring 0.615 hectare for the construction of Construction of Bedubagar-jagoth motor road to sauri village motor road in forest land under FRA 2006 of the following applicant duly processed and recommended by the sub division level committee of Ukhimath Tehsil sub division were discussed to consider the same for admission by the district level committee.

After scrutiny of the documents and detailed discussions, no objection/claims were found to have been made & hence District level committee recommends the above case for diversion of land for the saided purpose.


District Magistrate Cum-Chairman
District Level Committee
Rudraprayag, Uttarakhand.

परियोजना का नाम:- मा० मुख्यमंत्री जी की घोषणा संख्या-553/2015 के अन्तर्गत जनपद-रूद्रप्रयाग के विधानसभा क्षेत्र-केदारनाथ के विकासखण्ड, अगस्त्यमुनि में बेडूबगड़-जगोठ मोटर मार्ग से सौड़ी गाँव तक मोटर मार्ग के नव निर्माण हेतु वन भूमि का लो०नि०वि० को हस्तान्तरण।

कार्यालय उपजिलाधिकारी रूद्रप्रयाग

अनुसूचित जनजाति और परम्परागत वनवासी अधिनियम 2006 के तहत प्रमाण-पत्र

उपखण्ड स्तरीय समिति रूद्रप्रयाग

उपखण्ड रूद्रप्रयाग परिक्षेत्र के अन्तर्गत मा० मुख्यमंत्री जी की घोषणा संख्या-553/2015 के अन्तर्गत जनपद-रूद्रप्रयाग के विधानसभा क्षेत्र-केदारनाथ के विकासखण्ड, अगस्त्यमुनि में बेडूबगड़-जगोठ मोटर मार्ग से सौड़ी गाँव तक मोटर मार्ग के नव निर्माण हेतु राज्य भूमि 0.420 है। मोटर मार्ग निर्माण हेतु व 0.195 है। मक डिस्पोजल हेतु अर्थात् कुल 0.615 है। राज्य भूमि का लोक निर्माण विभाग के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वनवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 के अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय समिति, (तहसील-रूद्रप्रयाग) की दिनांक 11/10/17 को सम्पन्न बैठक की कार्यवाही का विवरण:-

अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वनवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं नियम 2008 के अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की बैठक श्री सुभाष चन्द्र सिंह उपजिलाधिकारी एवं अध्यक्ष उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की अध्यक्षता में आयोजित की गयी। बैठक में माननीय सदस्यों की उपस्थिति निम्नानुसार है।

- | | | |
|------------------------------------|---------------------------|------------|
| 1- श्री <u>सुभाष चन्द्र सिंह</u> | उपजिलाधिकारी | अध्यक्ष |
| 2- श्री <u>सुभाष चन्द्र सिंह</u> | उपप्रभागीय वनधिकारी | सदस्य |
| 3- श्री <u>सुभाष चन्द्र सिंह</u> | सहायक समाज कल्याण अधिकारी | सदस्य/सचिव |
| 4- श्री <u>दीपेन्द्र सिंह रावत</u> | वाई सदस्य | सदस्य |

उपखण्ड सचिव द्वारा माननीय सदस्यों का बैठक में स्वागत करते हुये उपजिलाधिकारी की अनुमति से बैठक की कार्यवाही प्रारम्भ की गयी। माननीय सदस्यों को अवगत कराया गया कि मा० मुख्यमंत्री जी की घोषणा संख्या-553/2015 के अन्तर्गत जनपद-रूद्रप्रयाग के विधानसभा क्षेत्र-केदारनाथ के विकासखण्ड, अगस्त्यमुनि में बेडूबगड़-जगोठ मोटर मार्ग से सौड़ी गाँव तक मोटर मार्ग के नव निर्माण हेतु राज्य भूमि 0.615 है। लोक निर्माण विभाग के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु प्रस्ताव माननीयों के समक्ष रखा गया। ग्राम सभा के अन्तर्गत वनाधिकार का कोई मामला लम्बित नहीं है। उक्त भूमि का संबन्धित ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति पारित प्रस्ताव के आधार पर सार्वजनिक उपयोग हेतु प्रत्यावर्तन की अनुशंसा की गयी है।

संबन्धित उप प्रभागीय वनाधिकारी श्री सुभाष चन्द्र सिंह द्वारा अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं तत्सम्बंधी नियम 2008 के प्राविधान को स्पष्ट करते हुये जानकारी से माननीय सदस्यों को अवगत कराया कि वन अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत किसी भी दावेदार का दावा/आवेदन पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है। इस सम्बन्ध में ग्राम सभा/पंचायत द्वारा अनापत्ति जारी की जा चुकी है। अतः प्रकरण में उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति द्वारा अनापत्ति जारी की जा सकती है।

बैठक सर्वसम्मति से उपखण्ड रूद्रप्रयाग परिक्षेत्र के अन्तर्गत मा० मुख्यमंत्री जी की घोषणा संख्या-553/2015 के अन्तर्गत जनपद-रूद्रप्रयाग के विधानसभा क्षेत्र-केदारनाथ के विकासखण्ड, अगस्त्यमुनि में बेडूबगड़-जगोठ मोटर मार्ग से सौड़ी गाँव तक मोटर मार्ग के नव निर्माण हेतु राज्य भूमि 0.615 है। लोक निर्माण विभाग को जनहित में सक्षम अधिकारी से अनुमति प्राप्त कर प्रत्यावर्तित किये जाने पर सहमति व्यक्त की गयी।

दीपेन्द्र सिंह रावत
सहायक समाज कल्याण अधिकारी
वन विभाग-वाई
जनरल पंचायत, अगस्त्यमुनि

सुभाष चन्द्र सिंह
सहायक समाज कल्याण अधिकारी
अगस्त्यमुनि

सुभाष चन्द्र सिंह
उप प्रभागीय वन अधिकारी
रूद्रप्रयाग वन प्रभाग
रूद्रप्रयाग

सुभाष चन्द्र सिंह
उपजिलाधिकारी/अध्यक्ष
उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति
तहसील-रूद्रप्रयाग जनपद-रूद्रप्रयाग

प्रतिलिपि:- जिलाधिकारी रूद्रप्रयाग को सूचनाार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

सुभाष चन्द्र सिंह
उपजिलाधिकारी/अध्यक्ष
उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति
तहसील-रूद्रप्रयाग जनपद-रूद्रप्रयाग
उप जिलाधिकारी
रूद्रप्रयाग

परियोजना का नाम:- मा० मुख्यमंत्री जी की घोषणा संख्या-553/2015 के अन्तर्गत जनपद-रूद्रप्रयाग के विधानसभा क्षेत्र-केदारनाथ के विकासखण्ड, अगस्त्यमुनि में बेडूबगड़-जगोठ मोटर मार्ग से सौड़ी गाँव तक मोटर मार्ग के नव निर्माण हेतु वन भूमि का लो०नि०वि० को हस्तान्तरण।

वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण-पत्र

नगर पंचायत का नाम - अगस्त्यमुनि (वार्ड-2 सौड़ी-बनीयाड़ी)

तहसील - रूद्रप्रयाग, जिला - रूद्रप्रयाग,

अनापत्ति का प्रमाण-पत्र

उत्तराखण्ड मा० मुख्यमंत्री जी की घोषणा संख्या-553/2015 के अन्तर्गत जनपद-रूद्रप्रयाग के विधानसभा क्षेत्र-केदारनाथ के विकासखण्ड, अगस्त्यमुनि में बेडूबगड़-जगोठ मोटर मार्ग से सौड़ी गाँव तक मोटर मार्ग के नव निर्माण हेतु राज्य वनभूमि 0.420 है। मोटर मार्ग निर्माण हेतु व 0.195 है। मक डिस्पोजल हेतु अर्थात कुल 0.615 है। राज्य वनभूमि का लो०नि०वि० के पक्ष में भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा प्रत्यावर्तित करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया।

उक्त प्रकरण के विषय में नगर पंचायत द्वारा दिनांक 10/07/2017 को सम्पन्न बैठक में लो०नि०वि० द्वारा आवेदित राज्य वनभूमि के सम्बन्ध में अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु विस्तृत चर्चा की गयी यह कि वन अधिकार अधिनियम 2006 के प्राविधानों के तहत आवेदित पंचायती वनभूमि में आधिवासी अथवा किसी गैर आधिवासी का कब्जा / कृषि कार्य है अथवा नहीं। उपस्थित सभी नगरवासियों द्वारा स्पष्ट किया गया कि उक्त राज्य भूमि में किसी भी आधिवासी अथवा गैर आधिवासी का कब्जा / कृषि कार्य नहीं किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित पंचायती वनभूमि पर ग्रामवासियों के परम्परागत अधिकारों का हनन नहीं हो रहा है।

चर्चा के उपरान्त नगरपंचायत द्वारा सर्वसमिति से निर्णय लिया गया / प्रस्ताव पारित किया गया कि अगस्त्यमुनि (वार्ड-2 सौड़ी-बनीयाड़ी) के नगरवासियों को उक्त राज्य वनभूमि उक्त परियोजना हेतु लो०नि०वि० को परियोजना के निर्माण हेतु दिये जाने पर कोई आपत्ति नहीं है।

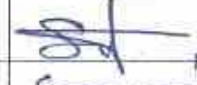
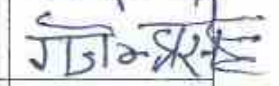
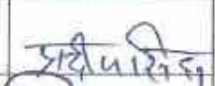
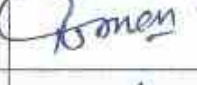
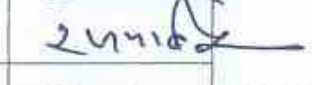
प्रमाणित किया जो सत्य एवं सही है।


अध्यक्ष
अध्यक्ष नगर पंचायत
नगर पंचायत अगस्त्यमुनि नगर रूद्रप्रयाग

परियोजना का नाम:- मा० मुख्यमंत्री जी की घोषणा संख्या-553/2015 के अंतर्गत जनपद-रूद्रप्रयाग के विधानसभा क्षेत्र-केदारनाथ के विकासखण्ड, अगस्त्यमुनि में बेडूबगड़-जगोठ मोटर मार्ग से सौड़ी गाँव तक मोटर मार्ग के नव निर्माण हेतु वन भूमि का लो०नि०वि० को हस्तान्तरण।

दिनांक 10/ 07/2017 को नगर पंचायत सभा की सम्पन्न बैठक की उपस्थिति

नगर पंचायत का नाम - अगस्त्यमुनि (वार्ड-2 सौड़ी-बनीयाड़ी)

क्र.स.	नगर पंचायत सभा में उपस्थित वरिष्ठ नगरवासियों के नाम	हस्ताक्षर
1	2	3
1	सुनील राजवाड़ा	
2	महेन्द्रासिंह	
3	विनोदसिंह	
4	प्रदीप सिंह राजवाड़ा	
5	विक्रमसिंह राजवाड़ा	
6	Ashok K. Kamdani	
7	रजपालासिंह	
8	Anil Kamdani	
9	केलाश सुजाग	
10	R's. Surwan	

अध्यक्ष
नगर पंचायत अगस्त्यमुनि पंचायत
अगस्त्यमुनि, क.प. रुद्रप्रयाग

Geological Assessment of 2.0 Km long Sauri Motor Road Alignment
Between CH 0.0 and 2.0 Km, Ukhimath Division,
District Rudraprayag
Tushar Sharma
09/11/2016

Introduction: The Construction Division, Ukhimath has been entrusted for the construction of 2.0 Km long Sauri Motor Road, District Rudraprayag. In order to assess the alignment site for construction, Er. Manoj Das (Executive Engineer) Construction Division, Ukhimath asked for a geologist to make a site visit. Consequent to his request a site visit was made on 05/11/2016; Er. Addeep Semwal (Junior Engineer) CD, Ukhimath was present during the site visit.

Topographical Information/Location: The above said stretch of 2.0 Km long Sauri Motor Road diverts from Ch 1.40 Km of Bedubagar-Jagoth Motor Road near Bedubagar, District Rudraprayag. The co-ordinates along with elevation, masl of the site at CH 0.0 Km are as follows:-

Latitude: 30° 24' 6.75"
Longitude: 79° 02' 16"
Approximate Elevation: 825 M



Broader Satellite View of the Site

Page 01

सहायक अभियन्ता
निर्माण खण्ड लो० वि०
ऊखीमठ (रुद्रप्रयाग)

Photo Copy Attested

सहायक अभियन्ता
निर्माण खण्ड लो० वि०
ऊखीमठ (रुद्रप्रयाग)



Closer Satellite View of the Road Alignment Site with approximate Hairpin bends

Geological Assessment: Geologically, the area falls under Lesser Himalayan zone. The rocks exposed around the site belong to the Ramgarh group/Barkot unit. The area lies in the proximity of a prominent regional tectonic structure Ramgarh Thrust. The rocks exposed in and around the site are quartzite, schist and schistose quartzite. However, the road alignment runs through agricultural land covered with overburden and slope wash material with vegetation with one or two patches of bed rock. The approximate strength of exposed rock mass is around ~50-120 MPa and has undergone W_0 to W_3 weathering grade. The hill slope of the road alignment is moderately steep which roughly declines towards West direction which is susceptible to subsidence/slide during rainy season protection measures are to be taken for the construction of road.



View of alignment site at CH 0.0 Km



View of gentle slope of the alignment site near village Sauri

There are two hair pin bends on the alignment which are at CH 0.300 and 0.525 Km respectively.

ismicity of the area: According to Indian Standard code the site falls in seismic zone V seismic zoning Map of India (IS 1893, part 1, 2002) which corresponds to intensity IX or above MM scale.

On the basis of the geological inspection of the site studies carried and the facts given above, the following recommendations are being made for the construction of the proposed road. In view of these recommendations this report will be automatically treated as cancelled.

Recommendations:

1. Blasting by explosives for the road construction is to be avoided as far as it is possible. Use of explosives will render the slope highly unstable as the slope consists of jointed/ fractured rock mass and overburden/slope wash material.
2. Excavation work must be carried out by skilled manual workers as the rock slopes are prone to slide down in case of rapid disturbance.
3. The slopes on either sides of the road must be protected by the construction of suitably designed retaining wall/ breast wall with proper weep holes, this work shall be carried out simultaneously with the advancement of the road cutting.
4. Construction of large U-shaped longitudinal concrete lined drain all along the hill side of the road with adequate provision of cross drains is necessary.
5. Construct the road by half cut and half fill techniques and compact the fill material properly by dynamic compaction.
6. Disposal of muck and excavated waste on the lower slopes of this road is to be strictly avoided; failing to which will increase the weight of the lower slope resulting in the increase in driving forces. It is advised to dispose the muck on the identified site for muck disposal.

7. All the construction activities ought to be carried out as per the standard codes of practice laid by the BIS and MORTH.


सहायक अभियन्ता
निर्माण खण्ड लो० नि० वि०
ऊखीमठ (रुद्रप्रयाग)

Photo Copy Attested


सहायक अभियन्ता
निर्माण खण्ड लो० नि० वि०
ऊखीमठ (रुद्रप्रयाग)

Conclusion: On the basis of the geological/geotechnical studies carried at the site and with above recommendations, the site proposed for 2.0 Km long Sauri Motor Road alignment between CH 0.0 to 2.0 Km was found geologically suitable for construction.

Order No: 2766-A/भू० वै०-07-पौड़ी /2016

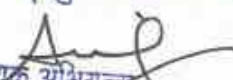
Date: 09/11/2016



(Tushar Sharma)
Assistant Geologist
Office of Chief Engineer
PWD (Pauri Zone)


सहायक अभियन्ता
निर्माण खण्ड लो० नि० वि०
ऊन्नीमठ (रुद्रप्रयाग)

Photo Copy Attested


सहायक अभियन्ता
निर्माण खण्ड लो० नि० वि०
ऊन्नीमठ (रुद्रप्रयाग)

प्रपत्र-34

परियोजना का नाम:- मा० मुख्यमंत्री जी की घोषणा संख्या-553/2015 के अन्तर्गत जनपद-रुद्रप्रयाग के विधानसभा क्षेत्र-केदारनाथ के विकासखण्ड, अगस्त्यमुनि में बेडूबगड़-जगोठ मोटर मार्ग से सौड़ी गाँव तक मोटर मार्ग के नव निर्माण हेतु वन भूमि का लो०नि०वि० को हस्तान्तरण।

भू-वैज्ञानिक की संस्तुतियों/सुझावों का अनुपालन किये जाने का प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि विषयगत परियोजना के निर्माण हेतु भू-वैज्ञानिक द्वारा दिये गये सुझावों/संस्तुतियों का अनुपालन किया जायेगा।



कनिष्ठ अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग
ऊखीमठ (रुद्रप्रयाग)



सहायक अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग
ऊखीमठ (रुद्रप्रयाग)



अधिशारी अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग
ऊखीमठ (रुद्रप्रयाग)

प्रपत्र-35

परियोजना का नाम:- मा० मुख्यमंत्री जी की घोषणा संख्या-553/2015 के अन्तर्गत जनपद-रूद्रप्रयाग के विधानसभा क्षेत्र-केदारनाथ के विकासखण्ड, अगस्त्यमुनि में बेडूबगड़-जगोठ मोटर मार्ग से सौड़ी गाँव तक मोटर मार्ग के नव निर्माण हेतु वन भूमि का लो०नि०वि० को हस्तान्तरण।

Task Force Certificate

- (i) Lay out of the Land-be followed as far as possible.
 (ii) Heavy cutting/filling be avoided-as far as possible. The technology of cut and fill method is to be adopted. Steep hill slopes also to be avoided.
 (iii) Unstable/slide-prone areas to be avoided. For identifying such areas the advice of Geotechnical engineers and geologists to be taken during the survey for alignment.
 (iv) Comparison of various possible alignments with reference to erosion potential be made and the alignment involving minimum erosion risks be preferred.
 A part from the stage of planning the road alignment, effective steps are also required to be taken by ground engineer during the process of road construction for minimized ecological disturbance to the hill roads Broadly the measures to be taken have been identified as :-

- (i) Cut and fill method to be adopted while excavating for road formation and heavy earth cutting is to be avoided Box cutting is to be avoided to the extent possible.
 (ii)(ii) Blasting by explosives is to be restricted to the minimum. Lay out of holes to be drilled for blasting is to be planned keeping in view the line of least resistance and the existence of joints Controlled blasting should be repeated using low charge and care be taken to avoid activating slide zones or widening fissures and cracks in rock. Use of delay detonators in large scale blasting work is to be made for anoline dispersion of chock waves, so that minimum disturbance is caused to the rock stratum as a result of the blasting process.
 (iii) (iii) All cut slopes, unusable hill side and slide prone erosion prone areas are to be provided with suitable correction measures by using one or the other of the techniques developed by CRR. Several techniques have been sponsored by CRR. like simple vegetative turning, bitumen much treatment and slide treatment by jute netting coir netting of these simple vegetative turning seems to be the most appropriate preventive measure in many situations. This should be established in the denuded slopes immediately after the excavation is made
 (v) Adequate drainage measures and protective structures like intercepting catch water drains, longitudinal drains/culvers, breast walls, retaining and the walls are provided for purposes of establishing the slips Growth vegetative cover is stimulated in the disturbed hill slopes above the road level by planting suitable fast growing shrubs and plants. In certain selected unstable areas terraced afforestation has also been plasticized as a stabilizing measure with good results.
 (vi) Over the past few years the roads wing of the Ministry of Shipping and transport has issued instruction laying down broad guidelines and check list of the preparation of road construction projects which provide an inbuilt mechanism of tackling land slides/erosion control for the guidance and follow up action by engineers of state 'PWD' Border Roads Organization and other engaged in construction of hill roads these should be observed.

प्रमाणित किया जाता है कि योजना आयोग द्वारा गठित टास्क फोर्स द्वारा प्रदत्त उक्त संस्तुतियों का परियोजना के निर्माण के दौरान अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।



कनिष्ठ अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग
ऊखीमठ (रूद्रप्रयाग)



सहायक अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग
ऊखीमठ (रूद्रप्रयाग)



अधिसूची अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग
ऊखीमठ (रूद्रप्रयाग)

परियोजना का नाम:- मा० मुख्यमंत्री जी की घोषणा संख्या-553/2015 के अन्तर्गत जनपद-रूद्रप्रयाग के विधानसभा क्षेत्र-केदारनाथ के विकासखण्ड, अगस्त्यमुनि में बेडूबगड़-जगोठ मोटर मार्ग से सौड़ी गाँव तक मोटर मार्ग के नव निर्माण हेतु वन भूमि का लो०नि०वि० को हस्तान्तरण।

मानक शर्तों का मान्य होने का प्रमाण-पत्र

:मानक शर्तें:

1. वन भूमि हस्तान्तरण के बाद भी उसके उसके वैधानिक स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं होगा और वह भी पूर्व की भाँति रक्षित या आरक्षित वन भूमि बनी रहेगी।
2. प्रशंगत भूमि का उपयोग केवल कथित प्रयोजन हेतु ही किया जायेगा अन्य प्रयोजन हेतु कदापि नहीं।
3. प्रयोक्ता ऐजेन्सी द्वारा प्रस्तावित भूमि अथवा उसके किसी भी भाग को किसी अन्य विभाग, संस्था अथवा व्यक्ति विशेष को हस्तान्तरित नहीं किया जायेगा।
4. वनभूमि का संयुक्त निरीक्षण करके सुनिश्चित कर लिया गया है कि आवेदित भूमि न्यूनतम है तथा इसके अतिरिक्त कोई अन्य वैकल्पिक भूमि उपलब्ध नहीं है।
5. प्रयोक्ता ऐजेन्सी उसके कर्मचारी, अधिकारी अथवा ठेकेदार वन भूमि को किसी प्रकार की क्षति नहीं पहुँचायेंगे और ऐसा किये जाने पर सम्बन्धित वनाधिकारी द्वारा निर्धारित प्रतिकरे का भुगतान प्रयोक्ता ऐजेन्सी द्वारा किया जायेगा इस हेतु प्रयोक्ता ऐजेन्सी सहमत हैं।
6. परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित भूमि का सीमांकन प्रयोक्ता ऐजेन्सी के ब्यय से सम्बन्धित वनाधिकारी की रेखा-देख में किया जायेगा तथा इस सम्बन्ध बनाय गये मुनारों रख-खाव किया जायेगा।
7. हस्तान्तरित वन भूमि पर वन विभाग के अधिकारियों/कर्मचारियों को निरीक्षण हेतु जाने पर प्रयोक्ता ऐजेन्सी को कोई आपत्ति नहीं होगी।
8. बहुमूल्य वन सम्पदा से आच्छादित एवं वन जन्तुओं से भरपूर वन क्षेत्रों का हस्तान्तरण यथासम्भव प्रस्तावित न किया जाय। केवल अपरिहार्य कारणों से ही ऐसा किया जाना सम्भव होगा, परन्तु प्रतिबन्ध यह होगा कि वन सम्पदा की क्षतिपूर्ति एवं अन्य जन्तुओं के स्वच्छन्द विवरण की व्यवस्था सुनिश्चित करने के बाद ही भूमि हस्तान्तरित की जायेगी।
9. सिंचाई विभाग/जल निगम द्वारा वन विभाग की नरसरियों को एवं वन विभाग के कर्मचारियों की निःशुल्क जल की सुविधा उपलब्ध करायी जायेगी।
10. प्रयोक्ता ऐजेन्सी द्वारा हस्तान्तरित वन भूमि का उपयोग अन्य प्रयोजन हेतु करने अथवा अन्य विभाग संस्था या व्यक्ति विशेष की हस्तान्तरित करने पर वन भूमि स्वतः बिना किसी प्रतिकर के भुगतान किये वन विभाग को वापस हो जायेगी। वन भूमि की आवश्यकता प्रयोक्ता ऐजेन्सी को न रहने पर हस्तान्तरित भूमि तथा उस पर निर्मित भवन आदि स्वतः बिना किसी प्रतिकर का भुगतान किये वन विभाग को प्राप्त हो जायेगी।
11. सड़क निर्माण के प्रस्तावों पर संरक्षण तय होते समय स्थानीय स्तर पर वन विभाग का परामर्श लो०नि०वि० द्वारा प्राप्त किया जायेगा तथा इस सम्बन्ध में प्रमुख अभियन्ता, लो०नि०वि० को सम्बोधित पत्र संख्या 608 सी० दिनांक 10-2-82 में निहित आदेशों का पालन भी लो०नि०वि० द्वारा किया जायेगा कि वन भूमि पर अश्वमार्ग बनाना अथवा वन मार्गों का सुदृढीकरण/चोड़ीकरण कार्य करण हेतु वन संरक्षण अधिनियम 1980 के अन्तर्गत भारत सरकार पर्यावरण एवं वन मंत्रालय की स्वीकृति की जानी अनिवार्य है को फेर बदल कर पक्का करना याचक विभाग के खर्च से पर्याप्त न होना और नई सड़क का निर्माण ही आवश्यक है।
12. प्रयोक्ता ऐजेन्सी के वन भूमि का मूल्य सम्बन्धित जिलाधिकारी द्वारा वर्तमान बाजार दर के अनुसार राज्य सरकार के पक्ष में जमा किया जायेगा।
13. वन भूमि पर खड़े वृक्षों का निस्तारण वन विभाग उतराखण्ड वन विकास निगम द्वारा किया जायेगा।
14. हस्तान्तरित भूमि पर पड़ने वाले वृक्षों के प्रतिकार में प्रयोक्ता ऐजेन्सी द्वारा हस्तान्तरित भूमि के समतुल्य वृक्षारोपण का भुगतान अथवा समतुल्य गैर वानिकी भूमि उपलब्ध न होने पर प्रस्तावित भूमि के

15. दुग्ने गैर वानिकी क्षेत्रफल में वृक्षारोपण तथा 3 वर्ष तक परिपोषण व्यय जो भी वन विभाग द्वारा तय किया जाय का भुगतान प्रयोक्ता ऐजेन्सी वन विभाग को किया जायेगा। 1000 मीटर एवं 30 डिग्री से अधिक ढाल पर खड़े वृक्षों का पातन भी निषिद्ध है, इसी प्रकार बांज के पेड़ों पर पातन भी वर्जित है। ऐसे वृक्षों के पातन का निरीक्षण वन संरक्षक स्तर पर ही होगा।
16. वन भूमि पर प्रस्तावित विद्युत पारेषण लाईन के कोरीडोर के नीचे यथासम्भव पेड़ों का पातन नहीं किया जायेगा व पारेषण लाईन के खम्भों को ऊँचा कर अधिक से अधिक संख्या में पेड़ों को बचाया जायेगा यदि फिर भी पेड़ों का पातन अनिवार्य प्रतीत होता है तो न्यूनतम पेड़ों की संख्या संयुक्त स्थल निरीक्षण करके सम्बन्धित उप वन संरक्षक द्वारा निश्चित की जायेगी।
17. यदि नहर आदि निर्माण में भू-संरक्षण की सम्भावना होती है और नहर की दोनों पट्टीयों को पक्का करना आवश्यक समझा जाता है तो प्रयोक्ता ऐजेन्सी उक्त कार्य स्वयं के व्यय से करायेगा।
18. उपरोक्त मानक शर्तों के अतिरिक्त यदि भारत सरकार अथवा वन विभाग द्वारा किसी विशिष्ट प्रकरण में कोई अन्य शर्तें लगाई जाती हैं तो प्रयोक्ता ऐजेन्सी द्वारा उसका पालन किया जाना अनिवार्य होगा।
19. वन भूमि का वास्तविक हस्तान्तरण तभी किया जाय, जब उच्च शर्तों का पूरा पालन प्रयोक्ता ऐजेन्सी द्वारा किया गया हो अथवा उनका संक्षम स्तर से आश्वासन प्राप्त हो जाय।

प्रमाणित किया जाता है कि वन विभाग उत्तराखण्ड शासन तथा भारत सरकार द्वारा लगाई गई शर्तें प्रयोक्ता ऐजेन्सी को मान्य हैं।


 कनिष्ठ अभियन्ता
 निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग
 ऊखीमठ (रूद्रप्रयाग)


 सहायक अभियन्ता
 निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग
 ऊखीमठ (रूद्रप्रयाग)


 अधिशासी अभियन्ता
 निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग
 ऊखीमठ (रूद्रप्रयाग)

प्रपत्र-37

परियोजना का नाम:- मा० मुख्यमंत्री जी की घोषणा संख्या-553/2015 के अन्तर्गत जनपद-रुद्रप्रयाग के विधानसभा क्षेत्र-केदारनाथ के विकासखण्ड, अगस्त्यमुनि में बेडूबगड़-जगोठ मोटर मार्ग से सौड़ी गाँव तक मोटर मार्ग के नव निर्माण हेतु वन भूमि का लो०नि०वि० को हस्तान्तरण।

धार्मिक/पौराणिक/ऐतिहासिक महत्व के स्थल न होने का प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि आवेदित वनभूमि में किसी प्रकार का ऐतिहासिक स्थल, धार्मिक स्थल स्मारक, मन्दिर, मस्जिद, शमशान घाट, कब्रिस्तान आदि स्थित नहीं है तथा उक्त वनभूमि सार्वजनिक उपयोग की नहीं है।



कनिष्ठ अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग
ऊखीमठ (रुद्रप्रयाग)



सहायक अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग
ऊखीमठ (रुद्रप्रयाग)



अधीक्षारी अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग
ऊखीमठ (रुद्रप्रयाग)


जिलाधिकारी,
रुद्रप्रयाग

प्रपत्र-37

परियोजना का नाम:- मा० मुख्यमंत्री जी की घोषणा संख्या-553/2015 के अन्तर्गत जनपद-रुद्रप्रयाग के विधानसभा क्षेत्र-केदारनाथ के विकासखण्ड, अगस्त्यमुनि में बेडूबगड़-जगोठ मोटर मार्ग से सौड़ी गाँव तक मोटर मार्ग के नव निर्माण हेतु वन भूमि का लो०नि०वि० को हस्तान्तरण।

धार्मिक/पौराणिक/ऐतिहासिक महत्व के स्थल न होने का प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि आवेदित वनभूमि में किसी प्रकार का ऐतिहासिक स्थल, धार्मिक स्थल स्मारक, मन्दिर, मस्जिद, शमशान घाट, कब्रिस्तान आदि स्थित नहीं है तथा उक्त वनभूमि सार्वजनिक उपयोग की नहीं है।



कनिष्ठ अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग
ऊखीमठ (रुद्रप्रयाग)



सहायक अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग
ऊखीमठ (रुद्रप्रयाग)



अधिसूची अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग
ऊखीमठ (रुद्रप्रयाग)


जिलाधिकारी,
रुद्रप्रयाग

प्रपत्र-38

परियोजना का नाम:- मा० मुख्यमंत्री जी की घोषणा संख्या-553/2015 के अन्तर्गत जनपद-
रुद्रप्रयाग के विधानसभा क्षेत्र-केदारनाथ के विकासखण्ड, अगस्त्यमुनि में
बेडूबगढ़-जगोठ मोटर मार्ग से सौड़ी गाँव तक मोटर मार्ग के नव निर्माण
हेतु वन भूमि का लो०नि०वि० को हस्तान्तरण।

वन्य जीव /वनस्पतियों को क्षति न पहुँचाये जाने का प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि प्रस्तावित परियोजना निर्माण कार्य/ रख-रखाव के
दौरान वन्यजीव /स्थानीय वनस्पतियों को कोई नुकसान नहीं पहुँचाया जायेगा।



कनिष्ठ अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग
ऊखीमठ (रुद्रप्रयाग)



स्वायक अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग
ऊखीमठ (रुद्रप्रयाग)



अधिष्ठासी अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग
ऊखीमठ (रुद्रप्रयाग)

प्रपत्र-39

परियोजना का नाम:- मा० मुख्यमंत्री जी की घोषणा संख्या-553/2015 के अन्तर्गत जनपद-रूद्रप्रयाग के विधानसभा क्षेत्र-केदारनाथ के विकासखण्ड, अगस्त्यमुनि में बेडूबगड़-जगोठ मोटर मार्ग से सौड़ी गाँव तक मोटर मार्ग के नव निर्माण हेतु वन भूमि का लो०नि०वि० को हस्तान्तरण।

परियोजना में कार्यरत श्रमिकों को मिट्टी का तेल /रसोई गैस उपलब्ध कराये जाने का प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि जनपद रूद्रप्रयाग में मा० मुख्यमंत्री जी की घोषणा संख्या-553/2015 के अन्तर्गत जनपद-रूद्रप्रयाग के विधानसभा क्षेत्र-केदारनाथ के विकासखण्ड, अगस्त्यमुनि में बेडूबगड़-जगोठ मोटर मार्ग से सौड़ी गाँव तक मोटर मार्ग के नव निर्माण के दौरान वन सम्पदा का प्रयोग भोजन पकाने में नहीं करेगा तथा रसोई गैस व कैरेसिन तैल का इस्तेमाल भोजन पकाने में करेगा । जिसकी आपूर्ति प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा की जायेगी।


कनिष्ठ अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग
ऊखीमठ (रूद्रप्रयाग)


सहायक अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग
ऊखीमठ (रूद्रप्रयाग)


अतिरिक्त अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग
ऊखीमठ (रूद्रप्रयाग)

प्रपत्र-40

परियोजना का नाम:- मा० मुख्यमंत्री जी की घोषणा संख्या-553/2015 के अन्तर्गत जनपद-रुद्रप्रयाग के विधानसभा क्षेत्र-कैदारनाथ के विकासखण्ड, अगस्त्यमुनि में बेडूबगड़-जगोठ मोटर मार्ग से सौड़ी गाँव तक मोटर मार्ग के नव निर्माण हेतु वन भूमि का लो०नि०वि० को हस्तान्तरण।

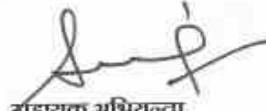
लाभान्वित होने वाले ग्रामों/परिवारों/जनसंख्या के सम्बन्ध में प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि प्रस्तुत परियोजना के निर्माण से निम्न प्रकार स्थानीय ग्रामों/परिवारों/जनसंख्या को लाभ प्राप्त होगा।

क्र.स.	ग्राम का नाम	लाभान्वित होने वाली जनसंख्या	परिवारों की संख्या
1.	सौड़ी	179	44



कनिष्ठ अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग
ऊखीमठ (रुद्रप्रयाग)



सहायक अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग
ऊखीमठ (रुद्रप्रयाग)



अधिसूची अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग
ऊखीमठ (रुद्रप्रयाग)

परियोजना का नाम:- मा० मुख्यमंत्री जी की घोषणा संख्या-553/2015 के अन्तर्गत जनपद-
रुद्रप्रयाग के विधानसभा क्षेत्र-केदारनाथ के विकासखण्ड, अगस्त्यमुनि में
वेडूबगड़-जगोठ मोटर मार्ग से सौड़ी गाँव तक मोटर मार्ग के नव निर्माण
हेतु वन भूमि का लो०नि०वि० को हस्तान्तरण।

वन भूमि के मूल्य का प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि प्रश्नगत प्रयोजन हेतु 0.615 है० वनभूमि का वर्तमान
बाजार दर से मूल्य रु० 62.00 लाख प्रति है० है। तथा वनभूमि का कुल मूल्य रु० 38.13 लाख होता है।


संजय कुमार शर्मा
संयोजक


महेश लाल
संयोजक


उपेन्द्र सिंह
संयोजक


ज्योती
जिलाधिकारी
रुद्रप्रयाग

प्रस्तावित परियोजना में पातन होने वाले वृक्षों के दस गुने वृक्षों (81 X 10 = 810 के वृक्षारोपण कार्य हेतु प्राक्कलन

परियोजना का नाम :- जनपद-रुद्रप्रयाग के अन्तर्गत केदारनाथ विधानसभा क्षेत्र में बेडूबगड़-जगोठ मोटर मार्ग से लौड़ी गांव तक मोटर मार्ग (0.615 है०) के निर्माण हेतु लोक निर्माण विभाग को वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव।

लक्षित किये जाने वाले पौधों की संख्या :- 810

प्रथम चरण

क्र.सं.	कार्य का नाम	इकाई	इकाई दर (रु०)	धनराशि
1	ट्रीगाड क्रय करना	810 सं०	1500.000	1215000.000
2	गड्डा खुदान (0.30x0.30x0.45)	810 गड्डा	7.950	6439.500
3	पौधों की कीमत प्रथम वर्ष	810 पौध	6.200	5022.000
योग - प्रथम चरण				1226461.50

द्वितीय चरण

1	गड्डा भरान कार्य (0.30x0.30x0.45) (प्रति 100)	810 पौध	1.42	1150.20
2	पौधों की कीमत (द्वितीय वर्ष)	810 पौध	1.80	1458.00
3	पौध का डुलान वाहन से 25 कि०मी०	810 पौध	9.00	1822.50
4	ट्री गार्ड डुलान करना	810 L.S.	50.000	40500.000
5	ट्री गार्ड गाढ़ना एवं फिक्स करना	810 L.S.	75.000	60750.000
6	पौधारोपण व थालाबन्दी	810 पौध	2.77	2243.70
योग- द्वितीय चरण				107924.40
योग- प्रथम चरण+द्वितीय चरण				1334385.90
कुल योग-				1334385.90
कुल धनराशि		प्रथम चरण		1226461.50
		द्वितीय चरण		107924.40
		कुल योग		1334385.90
ग्रन्थ वन संरक्षक, उत्तराखण्ड, देहरादून के पत्रांक-598/3-5-2 दिनांक 19.08.2015 के अनुसार वसूली वर्ष 2017-18 हेतु देय दर = 1000.00 रु०/पौध		810	पौध	810000.00

उप वन संरक्षक
रुद्रप्रयाग वन प्रभाग
रुद्रप्रयाग

प्रस्तावित मोटर मार्ग के रिक्त पड़े स्थलों पर वृक्षारोपण का कार्य

परियोजना का नाम :- जनपद-रूद्रप्रयाग के अन्तर्गत केदारनाथ विधानसभा क्षेत्र में बेड़ूबगड़-जगोठ मोटर मार्ग से चौड़ी गांव तक मोटर मार्ग (0.615 है०) के निर्माण हेतु लोक निर्माण विभाग को वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव।

वृक्षारोपण स्थल का कुल क्षेत्रफल :- 0.600 किमी०

लक्षित किये जाने वाले पौधों की संख्या- (100 पौध / प्रति किमी०) $100 \times 0.600 = 60$ पौध

वृक्षारोपण वन प्रभाग रेंज - अगस्त्यमुनि रेंज

प्रथम चरण

क्र.सं.	कार्य का नाम	इकाई	इकाई दर (रु०)	योग-
1	लैंड एवं सीमांकन	0.6150 है०	115.000	70.725
2	क्षेत्र की सफाई (झाड़ी कटान आदि)	0.6150 है०	3730.000	2293.950
3	ट्री गार्ड क्रय करना	60 संख्या	1500.000	90000.000
4	गड्डा खुदान (0.30x0.30x0.45)	60 गड्डा	7.950	477.000
5	पौधों की कीमत प्रथम वर्ष	60 पौध	6.200	372.000
6	अन्य व्यय जैसे यंत्र, संयन्त्र, औजार तेज कराना,	0.6150 है०	915.000	562.725
योग - प्रथम चरण				93776.400

द्वितीय चरण

1	गड्डा भरान कार्य (0.30x0.30x0.45) (प्रति 100)	60	पौध	1.42	85.2
2	पौधों की कीमत (द्वितीय वर्ष)	60	पौध	1.80	108.00
3	ट्री गार्ड डुलान करना	60	L.S.	200.000	12000.000
4	ट्री गार्ड गाढ़ना एवं फिक्स करना	60	L.S.	155.000	9300.000
5	50 बैग पौध का डुलान वाहन से 25 कि०मी०	60	पौध	9.00	135.00
6	पौधारोपण व थालाबन्दी	60	पौध	2.77	166.20
7	निराई गुड़ाई व मल्लिचंग (दो बार)	60	पौध	1.63	97.80
8	खाद व दवा पर व्यय	0.6150 है०	है०	1200.00	738.00
9	प्रथम वर्ष में देख-रेख व रखरखाव पर व्यय (कम से कम 9 माह)	0.6150 है०	है०	685 प्रतिमाह / प्रति है०	5055.30
10	अन्य व्यय साइन बोर्ड, पौध डुलान हेतु टोकरी, सुतली, गोरी आदि क्रय वृक्षारोपण के समय वर्षा से बचने हेतु पालीथीन सीट क्रय वर्ष में दो तीन बार	0.6150 है०	है०	2500.00	1537.50
योग- द्वितीय चरण					29223.00
योग- प्रथम चरण+द्वितीय चरण					122999.40

तृतीय चरण

1	रोपण वर्ष के उपरान्त प्रथम वर्ष रखरखाव व अनुरक्षण कार्य 12 माह	0.6150 है०	है०	685 प्रतिमाह / प्रति है०	5055.30
2	अन्य कार्य	0.6150 है०	है०	450.00	276.75
योग- तृतीय चरण					5332.05

चतुर्थ चरण

1	रोपण वर्ष के उपरान्त द्वितीय वर्ष रखरखाव व अनुरक्षण कार्य 12 माह	0.6150 है०	है०	685 प्रतिमाह / प्रति है०	5055.30
2	अन्य कार्य	0.6150 है०	है०	450.00	276.75
योग- चतुर्थ चरण					5332.05

पंचम चरण					
1	रोपण वर्ष के उपरान्त द्वितीय वर्ष रख रखाव व अनुरक्षण कार्य 12 माह	0.6150	है०	685 प्रतिमाह / प्रति है० 5055.30	
2	अन्य कार्य (अग्नि सम्बन्धी सुरक्षा कार्य)	0.6150	है०	450.00 276.75	
योग- पंचम चरण				5055.30	
छठवां चरण					
1	रोपण वर्ष के बाद तृतीय वर्ष का रखरखाव व अनुरक्षण कार्य 12 माह	0.6150	है०	685 प्रतिमाह / प्रति है० 5055.30	
2	अन्य कार्य (अग्नि सम्बन्धी सुरक्षा कार्य)	0.6150	है०	450.00 276.75	
छठवां चरण का योग :-				5332.05	
सातवां चरण					
1	रोपण वर्ष के बाद तृतीय वर्ष का रखरखाव व अनुरक्षण कार्य 12 माह	0.6150	है०	685 प्रतिमाह / प्रति है० 5055.30	
2	अन्य कार्य (अग्नि सम्बन्धी सुरक्षा कार्य)	0.6150	है०	450.00 276.75	
सातवां चरण का योग :-				5332.05	
आठवां चरण					
1	रोपण वर्ष के बाद तृतीय वर्ष का रखरखाव व अनुरक्षण कार्य 12 माह	0.6150	है०	685 प्रतिमाह / प्रति है० 5055.30	
2	अन्य कार्य (अग्नि सम्बन्धी सुरक्षा कार्य)	0.6150	है०	450.00 276.75	
आठवां चरण का योग :-				5332.05	
नवां चरण					
1	रोपण वर्ष के बाद तृतीय वर्ष का रखरखाव व अनुरक्षण कार्य 12 माह	0.6150	है०	685 प्रतिमाह / प्रति है० 5055.30	
2	अन्य कार्य (अग्नि सम्बन्धी सुरक्षा कार्य)	0.6150	है०	450.00 276.75	
नवें चरण का योग :-				5332.05	
दसवां चरण					
1	रोपण वर्ष के बाद तृतीय वर्ष का रखरखाव व अनुरक्षण कार्य 12 माह	0.6150	है०	685 प्रतिमाह / प्रति है० 5055.30	
2	अन्य कार्य (अग्नि सम्बन्धी सुरक्षा कार्य)	0.6150	है०	450.00 276.75	
दसवें चरण का योग :-				5332.05	
कुल धनराशि		प्रथम चरण			93776.40
		द्वितीय चरण			29223.00
		तृतीय चरण			5332.05
		चतुर्थ चरण			5332.05
		पंचम चरण			5055.30
		षष्ठम चरण			5332.05
		सप्तम चरण			5332.05
		अष्टम चरण			5332.05
		नवम चरण			5332.05
		दशम चरण			5332.05
कुल योग				165379.05	
ग्रन्थ वन संरक्षक, उत्तराखण्ड, देहरादून के पत्रांक-596/3-5-2 दिनांक 19.08.2015 के अनुसार वसूली वर्ष 2017-18 हेतु देय दर / 379843.00 रु०/किमी०		0.600	K.M.	227905.80	

उप वन संरक्षक
रुद्रप्रयाग वन प्रभाग
रुद्रप्रयाग

परियोजना का नाम:- मा० मुख्यमंत्री जी की घोषणा संख्या-553/2015 के अन्तर्गत जनपद-रुद्रप्रयाग के विधानसभा क्षेत्र-केदारनाथ के विकासखण्ड, अगस्त्यमुनि में बेडूबगड़-जगोठ मोटर मार्ग से सौड़ी गाँव तक मोटर मार्ग के नव निर्माण हेतु वन भूमि का लो०नि०वि० को हस्तान्तरण।

मार्ग के दोनों ओर रिक्त पड़े स्थानों पर उचित वृक्षारोपण की धनराशि वहन किये जाने का प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि मार्ग के दोनों ओर रिक्त पड़े स्थानों पर उचित वृक्षारोपण की धनराशि वन विभाग को उनकी माँग के अनुसार उपलब्ध करा दी जायेगी।


कनिष्ठ अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग
ऊखीमठ (रुद्रप्रयाग)


सहायक अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग
ऊखीमठ (रुद्रप्रयाग)


अधिशिप्सी अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग
ऊखीमठ (रुद्रप्रयाग)

मक डिस्पोजल योजना के सापेक्ष वृक्षारोपण

परियोजना का नाम :- जनपद-रुद्रप्रयाग के अन्तर्गत केदारनाथ विधानसभा क्षेत्र में बेडूबगड़-जगोट मोटर मार्ग से चौड़ी गांव तक मोटर मार्ग (0.615 है०) के निर्माण हेतु लोक निर्माण विभाग को वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव।

वृक्षारोपण स्थल का कुल क्षेत्रफल :- 0.195 है०

लेपित किये जाने वाले पौधों की संख्या (कुल क्षेत्रफल X 2000 पौध) 390 पौध

प्रथम चरण

क्र.सं०	कार्य का नाम	इकाई	इकाई दर (रु०)	योग-
1	सर्वे एवं सीमांकन	0.1950 है०	115.000	22.425
2	स्थल सफाई कार्य	0.1950 है०	3730.000	727.350
3	कुली दीवारबन्दी कार्य / फनिसिंग (150 मी प्रति है० = 81 घ०मी० @ 172 /-घ०मी०	0.1950 है०	38637.000	7534.215
4	गड्ढा खुदान (0.30x0.30x0.45) रेखांकन चूना सहित	390 गड्ढा	7.950	3100.500
5	डी०ए०पी० खाद की लागत 25 ग्राम प्रति गड्ढा (25 ग्राम प्रति गड्ढा/1000)	9.8 किग्रा०	1400.000	13650.000
6	पौधों की कीमत प्रथम वर्ष	390 पौध	6.200	2418.000
7	भूमि संरक्षण एवं जल संरक्षण कार्य (10 है०) के आधार पर मानते हुए			
	1. वानस्पतिक / स्टोन चैकडेम 8 X 6725 = 53800.00	0.1950 है०	9150.000	1784.250
	3. वाटर हावेस्टिंग टैंक (3 x 2.50 x 1.0) 5x7540.00 = 37700.00			
	योग- 91500.00			
	योग - प्रथम चरण			29236.740

द्वितीय चरण

1	झाड़ी कटान (लैन्टाना गाजर घास / काला बांस)	0.1950 है०	1887.00	367.97
2	गड्ढा भरान कार्य (0.30x0.30x0.450)	390 गड्ढा	7.95	3100.50
3	पौध दुलान कार्य	390 पौध	9.00	3510.00
4	पौधारोपण व थालाबन्दी	390 पौध	2.77	1080.30
5	पौधों की प्रथम निराई गुड़ाई व मलचिंग कार्य	390 पौध	1.89	737.10
6	पौधों की द्वितीय निराई गुड़ाई व मलचिंग कार्य	390 पौध	1.63	635.70
7	पौध की कीमत द्वितीय वर्ष	390 पौध	1.80	702.00
8	प्रथम वर्ष में देख-रेख व रखरखाव पर व्यय (कम से कम 9 माह)	0.1950 है०	685 प्रतिमाह / प्रति है०	1202.18
9	अन्य कार्य	0.1950 है०	450.00	87.75
	योग- द्वितीय चरण			11423.49
	योग- प्रथम चरण+द्वितीय चरण			40660.23

तृतीय चरण 10 प्रतिशत क्षतिपूर्ति (बीटिंग अप) प्रति है०

1	पौध की लागत	390 पौध	8.00	3120.00
2	पौध दुलान कार्य	390 पौध	9.00	3510.00
3	पुनः गड्ढे खोदना एवं रोपण कार्य	390 पौध	4.40	1716.00
4	गड्ढों में गोबर खाद डालना लागत सहित	390 पौध	1.95	760.50
5	पौधों की शीतकालीन मलचिंग	390 पौध	1.63	635.70
6	वनीकरण चौकीदार (12 माह)	0.1950 है०	685 प्रतिमाह / प्रति है०	1602.90
7	जग्गि सम्बन्धी सुरक्षा कार्य	0.1950 है०	450.00	87.75
	योग- तृतीय चरण			11432.85

चतुर्थ चरण (रख रखाव कार्य)

1	वनीकरण चौकीदार का पारिश्रमिक 12 माह	0.1950 है०	685 प्रतिमाह / प्रति है०	1602.90
---	-------------------------------------	------------	--------------------------	---------

2	अग्नि सम्बन्धी सुरक्षा कार्य	0.1950	है०	450.00	87.75
	योग- चतुर्थ चरण				1690.65
पंचम चरण (रख रखाव कार्य)					
1	वनीकरण चौकी दार का पारिश्रमिक 12 माह	0.1950	है०	685 प्रतिमाह / प्रति है०	1602.90
2	अग्नि सम्बन्धी सुरक्षा कार्य	0.1950	है०	450.00	87.75
	योग- पंचम चरण				1690.65
छठवां चरण					
1	रोपण वर्ष के बाद तृतीय वर्ष का रखरखाव व अनुस्क्षण कार्य 12 माह	0.1950	है०	685 प्रतिमाह / प्रति है०	1602.90
2	अन्य कार्य (अग्नि सम्बन्धी सुरक्षा कार्य)	0.1950	है०	450.00	87.75
	छठवां चरण का योग :-				1690.65
सातवां चरण					
1	रोपण वर्ष के बाद तृतीय वर्ष का रखरखाव व अनुस्क्षण कार्य 12 माह	0.1950	है०	685 प्रतिमाह / प्रति है०	1602.90
2	अन्य कार्य (अग्नि सम्बन्धी सुरक्षा कार्य)	0.1950	है०	450.00	87.75
	सातवां चरण का योग :-				1690.65
आठवां चरण					
1	रोपण वर्ष के बाद तृतीय वर्ष का रखरखाव व अनुस्क्षण कार्य 12 माह	0.1950	है०	685 प्रतिमाह / प्रति है०	1602.90
2	अन्य कार्य (अग्नि सम्बन्धी सुरक्षा कार्य)	0.1950	है०	450.00	87.75
	आठवां चरण का योग :-				1690.65
नवां चरण					
1	रोपण वर्ष के बाद तृतीय वर्ष का रखरखाव व अनुस्क्षण कार्य 12 माह	0.1950	है०	685 प्रतिमाह / प्रति है०	1602.90
2	अन्य कार्य (अग्नि सम्बन्धी सुरक्षा कार्य)	0.1950	है०	450.00	87.75
	नवें चरण का योग :-				1690.65
दसवां चरण					
1	रोपण वर्ष के बाद तृतीय वर्ष का रखरखाव व अनुस्क्षण कार्य 12 माह	0.1950	है०	685 प्रतिमाह / प्रति है०	1602.90
2	अन्य कार्य (अग्नि सम्बन्धी सुरक्षा कार्य)	0.1950	है०	450.00	87.75
	दसवें चरण का योग :-				1690.65
कुल धनराशि					
				प्रथम चरण	29236.74
				द्वितीय चरण	11423.49
				तृतीय चरण	11432.85
				चतुर्थ चरण	1690.65
				पंचम चरण	1690.65
				षष्ठम चरण	1690.65
				सप्तम चरण	1690.65
				अष्टम चरण	1690.65
				नवम चरण	1690.65
				दशम चरण	1690.65
				कुल योग	63927.63

उप वन संरक्षक
रुद्रप्रयाग वन प्रभाग
रुद्रप्रयाग

MUCK DISPOSAL PLAN

परियोजना का नाम:- मा० मुख्यमंत्री जी की घोषणा संख्या-553/2015 के अन्तर्गत जनपद-रुद्रप्रयाग के विधानसभा क्षेत्र-केदारनाथ के विकासखण्ड, अमरस्यमुनि में बेड़वगड़-जगोठ मोटर मार्ग से सौड़ी गाँव तक मोटर मार्ग के नव निर्माण हेतु वन भूमि का लो०नि०वि० को हस्तान्तरण।

Muck Received From Hill Side Cutting

Road length		Average Cutting Width	Average Cutting Height
Forest land	600 m	4 m	3 m
Nap land	700 m	2.5 m	2 m

Material Received from hill side Cutting

For Forest Land $\frac{1}{2} \times 600 \times 4 \times 3 = 3600.00 \text{ Cum}$
 For Nap land $1 \times 700 \times 2.5 \times 2 = 3500.00 \text{ Cum}$

Total muck = 7100.00 Cum ----- A

Assuming 40% swelling of muck so muck received(A+40%A) = **9940.00 Cum ----- B**

Material Utilized in the Project

Assume 40% boulders and 60% soil in the Muck

Quantity of Boulders received from muck (40% of B) 3976 Cum ----- C

Boulders used as :-

(a) RR Stone Masonary (60% of C)	2385.6 Cum	
(b) HP Stone Filling (20% of C)	795.2 Cum	
(c) Wirecrates and parapits (10% of C)	397.6 Cum	
(d) Granular sub base/ base (10% of C)	397.6 Cum	
Total Boulders utilized	3976 Cum	

Soil used in filling for Half cutting-Half filling method (assume 40% of "B-C") 2385.6 Cum ----- D

Muck left for disposal (B-C-D) **3578.40 Cum**

Disposal of Muck/loose soil in Dumping Zones

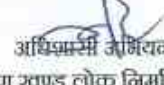
Sl. No.	Location	Size of Dumping yard			Type of Land/ Name of owner	Area (Ha.)	Capacity (Cum)	Latitude/ Longitude
		L(m)	B(m)	H(m)				
1	Ch.	30	25	2	Civil Land	0.075	1500	79°2'45.834"E 30°24'7.226"N
2	Ch.	40	30	2	Civil Land	0.120	2400	79°2'47.686"E 30°24'13.516"N

0.195 Hec

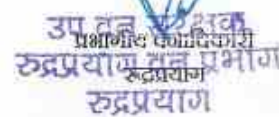
Total Capacity of Dumping Zones	= 3900 Cum
Total Muck need to be disposed	= 3578.4 Cum
Balance Debris	= NIL


 कलिंग अभियन्ता
 निर्माण खण्ड लोक निर्माण विभाग
 ऊखीमठ(रुद्रप्रयाग)


 सहायक अभियन्ता
 निर्माण खण्ड लोक निर्माण विभाग
 ऊखीमठ(रुद्रप्रयाग)

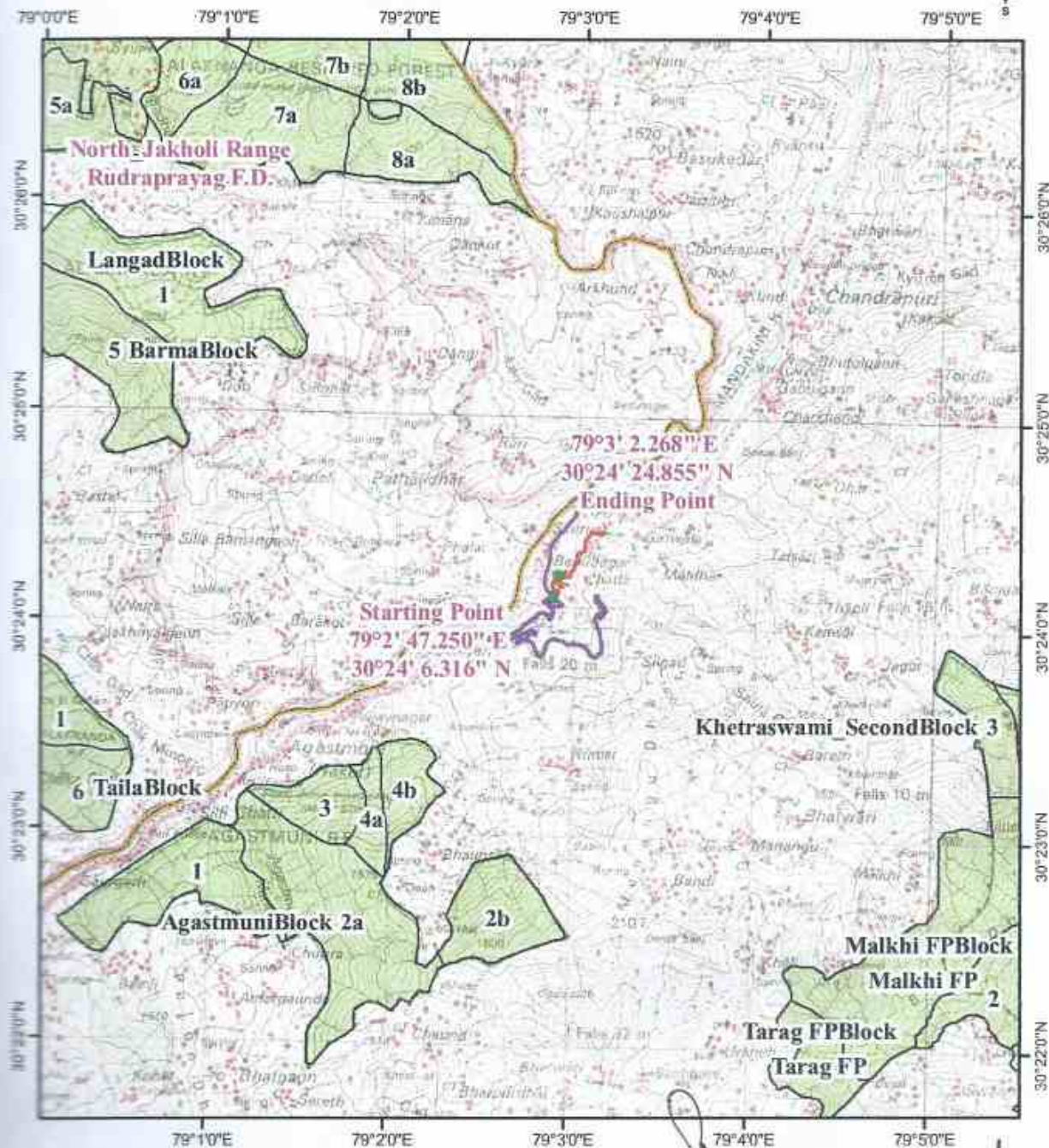

 अधिष्ठाता अभियन्ता
 निर्माण खण्ड लोक निर्माण विभाग
 ऊखीमठ(रुद्रप्रयाग)


 कलिंग अभियन्ता
 निर्माण खण्ड लोक निर्माण विभाग
 ऊखीमठ(रुद्रप्रयाग)


 अधिष्ठाता अभियन्ता
 निर्माण खण्ड लोक निर्माण विभाग
 ऊखीमठ(रुद्रप्रयाग)

डिजिटल मैप – जनपद रुद्रप्रयाग के विधानसभा क्षेत्र केदारनथ में विकासखण्ड अगस्त्यमुनि के अन्तर्गत बेडूबगड़ मोटर मार्ग से सौड़ी गांव तक मोटर मार्ग के नव निर्माण हेतु

0 0.5 1 1.5 2Km



Legend

- Muck Disposal
- Reserve Forest
- Proposed Road
- Existing Motor Road
- Reserve Forest Boundary
- Forest Range Boundary

निर्माण खण्ड, लो० नि० विभा
अग्रिम (रुद्रप्रयाग)

सहायक अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लो० नि० विभा
अग्रिम (रुद्रप्रयाग)

सहायक अभियन्ता
निर्माण खण्ड लो० नि० वि०
अग्रिम (रुद्रप्रयाग)

अध्यक्ष, रुद्रप्रयाग
रुद्रप्रयाग

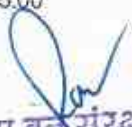
प्रपत्र-50

परियोजना का नाम :- जनपद-रुद्रप्रयाग के अन्तर्गत केदारनाथ विधानसभा क्षेत्र में बेडूबगड़-जगोठ मोटर मार्ग से सौड़ी गांव तक मोटर मार्ग (0.615 है०) के निर्माण हेतु लोक निर्माण विभाग को वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव।

एन०पी०वी० की धनराशि का आंकलन

प्रमाणित किया जाता है कि भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, नई दिल्ली के आदेश संख्या- 5-3/2007-एफ०सी० दिनांक 05.02.2009 में उल्लिखित व्यवस्था के अनुसार आवेदित वन भूमि हेतु एन०पी०वी० की देयता निम्नानुसार है :-

1.	ईको-क्लास श्रेणी	-	V th
2.	हरियाली का घनत्व	-	0.30 - 0.40
3.	एन०पी०वी० की दर प्रति है०	-	657000.00
4.	आवेदित वन भूमि का क्षेत्रफल	-	0.615 है०
5.	कुल देय एन०पी०वी० की धनराशि	-	404055.00


उप वन संरक्षक
रुद्रप्रयाग वन प्रभाग
रुद्रप्रयाग

परियोजना का नाम:- मा० मुख्यमंत्री जी की घोषणा संख्या-553/2015 के अन्तर्गत जनपद-रूद्रप्रयाग के विधानसभा क्षेत्र-केदारनाथ के विकासखण्ड, अगस्त्यमुनि में बेडूबगड़-जगोठ मोटर मार्ग से शौड़ी गाँव तक मोटर मार्ग के नव निर्माण हेतु वन भूमि का लो०नि०वि० को हस्तान्तरण।

एन०पी०वी० की बढ़ी दरों के अनुसार अतिरिक्त धनराशी जमा कराये जाने का प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि उक्त प्रकरण में एन०पी०वी० की देय धनराशि लोक निर्माण विभाग द्वारा वन विभाग के पक्ष में जमा करायी जायेगी। इसके अतिरिक्त यदि मा० उच्चतम न्यायालय द्वारा एन०पी०वी० की धनराशि में कोई बढ़ोतरी की जाती है तो एन०पी०वी० की अतिरिक्त धनराशि भी लोक निर्माण विभाग द्वारा जमा करा दी जायेगी।



कनिष्ठ अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग
ऊखीमठ (रूद्रप्रयाग)



सहायक अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग
ऊखीमठ (रूद्रप्रयाग)



अधिशारी अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग
ऊखीमठ (रूद्रप्रयाग)

प्रपत्र -52

परियोजना का नाम:- जनपद-रुद्रप्रयाग के अन्तर्गत केदारनाथ विधानसभा क्षेत्र में बेडूबगड़-जगोठ मोटर मार्ग से सौड़ी गांव तक मोटर मार्ग (0.615 है0) के निर्माण हेतु लोक निर्माण विभाग को वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव।

प्रस्तावित परियोजना के लिये प्रत्यावर्तित की जाने वाली वन भूमि का आर0सी0सी0 पिलरों द्वारा सीमांकन का प्राक्कलन।

प्रमाणित किया जाता है कि प्रस्तावित वन भूमि के सीमांकन/सर्वेक्षण हेतु आने वाले व्यय का भुगतान वन विभाग के पक्ष में जमा किया जायेगा।

क्र०सं०		कार्य का विवरण	सं०			नपत मीटर में			इकाई		दर रू०	धनराशि रू०
						ल०	चौ०	ऊर्चाई/ग०				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	P.W.D NO 11255 7-1	पिलर निर्माण एवं बुनियाद खुदान	1	x	1/2	1.000	0.500	0.700	0.175	cum	275.20	48.16
2		आर०सी०सी० पिलर के बेस पर चूना व कोयला डालना	1	x	1	L.S. 500.00						500.00
3	P.W.D NO 97321 11-4-3-2	1:2:4 सीमेंट मसाले में आर०सी०सी० पिलर निर्माण।	1	x	1	1.00	0.50	0.10	0.05	cum		
			1	x	1	0.30	0.30	1.20	0.11	cum		
Total									0.16		6687.50	1056.63
4	P.W.D NO 5.22A.6	आर०सी०सी० कार्य हेतु सरिया क्रय करना	0.158 X 78.50 X 1% = 0.124					0.1240	per qn	6810.00	844.64	
5	P.W.D NO 13.1.2	पिलर में 1:4 मसाले में प्लास्टर कार्य।	1	X	4	0.30		1.20	1.44			
			1	X	1	0.30	0.30		0.09			
Total									1.53	sqm	149.45	228.66
6	पिलर पर सफेदी कार्य व पिलर संख्या लिखना		L.S.									500.00
7	पानी की डुलाई आदि		L.S.									500.00
Total :-												3678.09
एक सीमा पिलर पर व्यय रुपये - 3678.00 (तीन हजार, छः सौ अठ्ठात्तर मात्र) :-												3678.00


 उप वन संरक्षक
 रुद्रप्रयाग वन प्रभाग
 रुद्रप्रयाग

प्रपत्र-54

परियोजना का नाम:- मा० मुख्यमंत्री जी की घोषणा संख्या-553/2015 के अन्तर्गत जनपद-रुद्रप्रयाग के विधानसभा क्षेत्र-केदारनाथ के विकासखण्ड, अगस्त्यमुनि में बेडूबगड़-जगोठ मोटर मार्ग से सौड़ी गाँव तक मोटर मार्ग के नव निर्माण हेतु वन भूमि का लो०नि०वि० को हस्तान्तरण।

वन संरक्षण अधिनियम, 1980 का उल्लंघन न होने का प्रमाण- प्रत्र

प्रमाणित किया जाता है कि प्रश्नगत परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वन भूमि पर वन संरक्षण अधिनियम, 1980 का उल्लंघन नहीं हुआ है।


कनिष्ठ अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग
ऊखीमठ (रुद्रप्रयाग)


सहायक अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग
ऊखीमठ (रुद्रप्रयाग)


अधीक्षारी अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग
ऊखीमठ (रुद्रप्रयाग)


वन क्षेत्राधिकारी
अगस्त्यमुनि

परिभाषित वन भूमि
रुद्रप्रयाग


परिभाषी वन क्षेत्राधिकारी
रुद्रप्रयाग वन प्रभाग
रुद्रप्रयाग